[2025] 7 एस.सी.आर. 859 : 2025 आईएनएससी 830

कुमारी शुभा @ शुभाशंकर

बनाम

कर्नाटक राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1029/2011)

14 जुलाई 2025

[एम.एम. सुंद्रेश* एवं अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति]

विचारणीय मुद्दा

क्या इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120-बी के अंतर्गत तथा अतिरिक्त रूप से केवल ए-4 के विरुद्ध धारा 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध करना उचित है?

शीर्ष टिप्पणियाँ[†]

परिस्थितिजन्य साक्ष्य - भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302 सहपठित 120-बी, धारा 201 - ए-4 और मृतक का विवाह तय था - यद्यपि ए-4 का मृतक से विवाह तय था, तथापि वह उससे विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं थी और उसने अपनी शिकायत ए-1, जो उसकी घनिष्ठ मित्र थी, से व्यक्त की - ए-1 ने अपने चचेरे भाई ए-3 से सहायता मांगी, जिसने अपने मित्र ए-2 को शामिल किया और अभियुक्तों ने मृतक की हत्या कर दी - अभियुक्तों को धारा 120-बी के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा दी गई; केवल ए-2 को धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा ए-4 को अतिरिक्त रूप से धारा 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को धारा 302 सहपठित धारा 120-बी के अंतर्गत संशोधित किया और आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा - शुद्धता:

अभिनिर्धारित: प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को त्याग दिया गया - मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है - परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी जुड़ी हुई और

सिद्ध पाई गई है, क्योंकि उद्देश्य पीडब्ल्यू-23, जो ए-4 का प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज का मित्र था, के साक्ष्य से सिद्ध हुआ, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि ए-4 ने उससे स्वीकार किया कि वह मृतक से विवाह नहीं करना चाहती थी; विशाल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर)

* लेखक

पीडब्ल्यू-24 और पीडब्ल्यू-25 के साक्ष्य से सिद्ध हुए तथा हथियार की बरामदगी भी सिद्ध हुई - अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं की धारा 302 सहपठित धारा 120-बी आईपीसी तथा अतिरिक्त रूप से ए-4 के विरुद्ध धारा 201 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्धि तथा उन पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की जाती है - तथापि, अपीलकर्ताओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति के उपयोग हेतु उपयुक्त याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है। [पैरा 54, 96, 98, 101]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 65-बी(4) - कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) - ग्राह्यता:

अभिनिर्धारित: यद्यपि धारा 65-बी का अनुपालन अनिवार्य है, तथापि ऐसे अनुपालन के निर्धारण हेतु कोई कठोर नियम नहीं है, विशेषकर सीडीआर के संदर्भ में - संबंधित न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे अनुपालन से स्वयं संतुष्ट हो, धारा 65-बी(4) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रमाणपत्र तथा दूरसंचार सेवा प्रदाता की ओर से सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए - जो व्यक्ति ऐसे प्रमाणपत्रों के समर्थन में साक्ष्य देता है, उसका मामले में कोई अन्य हित नहीं होना चाहिए, अतः उसे न्यायालय का साक्षी माना जाएगा - वर्तमान मामले में पीडब्ल्यू-24 एवं पीडब्ल्यू-25 अपने-अपने संस्थानों में ‘उत्तरदायी पद’ पर कार्यरत थे, जैसा कि धारा 65-बी(4) के अंतर्गत अपेक्षित है - यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञ हों, पर्याप्त है कि वे ‘अपने सर्वोत्तम ज्ञान या विश्वास’ के अनुसार बयान दें - उनके साक्ष्य, प्रमाणपत्रों तथा सीडीआर के संबंध में स्पष्ट हैं, यद्यपि उनका विस्तृत जिरह किया गया; मात्र विसंगतियाँ अपने आप में यह सिद्ध नहीं करतीं कि अनुपालन नहीं हुआ - साथ ही, अभियुक्तों द्वारा अनेक कॉल/एसएमएस के संबंध में प्रस्तुत सशक्त साक्ष्य के प्रति कोई विशिष्ट अस्वीकार या स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया - तथ्यों के आधार पर, रिलायंस एवं एयरटेल द्वारा प्रस्तुत सीडीआर धारा 65-बी(4) के अनुसार ग्राह्य हैं। [पैरा 64-66]

साक्ष्य - कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) - साक्ष्यात्मक मूल्य:

अभिनिर्धारित: यद्यपि सीडीआर को मुख्य साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता, तथापि इसे उपयुक्त पुष्टि हेतु अवश्य उपयोग किया जा सकता है - इसके साक्ष्यात्मक मूल्य का निर्धारण परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए - उपयुक्त परिस्थितियों में

न्यायालय दोषसिद्धि हेतु उस पर पर्याप्त निर्भरता रख सकता है, किन्तु दोष सिद्ध करना संभाव्यता की डिग्री पर निर्भर करता है। [पैरा 86]

परिस्थितिजन्य साक्ष्य - उद्देश्य - प्रासंगिकता:

अभिनिर्धारित: जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो अभियुक्त के अपराध करने के उद्देश्य को सिद्ध करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वही साक्ष्य श्रृंखला की नींव है जो अंततः अभियुक्त को दोषसिद्ध करने तक ले जाती है। [पैरा 55]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 27:

अभिनिर्धारित: स्टील रॉड (एम.ओ.11) की बरामदगी ए-2 के कथन पर की गई, जिसका साक्षी पीडब्ल्यू-30 (एक स्वतंत्र साक्षी) था, जिसने जब्ती पंचनामा एक्ज़िबिट पी-87 पर हस्ताक्षर किए - दोनों न्यायालयों ने पीडब्ल्यू-30 के साक्ष्य को उचित रूप से स्वीकार किया, जिसे केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अन्य पंच साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया, जबकि उसे साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था - एम.ओ.11 की बरामदगी सैन्य परिसर के एक एकांत स्थान से की गई, जिसे ए-2 द्वारा चिन्हित किए जाने पर झाड़ी से निकाला गया - मात्र इस कारण कि ए-1 भी बरामदगी के समय उपस्थित था, यह नहीं कहा जा सकता कि बरामदगी संयुक्त खुलासे के आधार पर हुई और इसलिए अमान्य है - इसके अतिरिक्त, ए-1 और ए-2 के स्वैच्छिक कथन पृथक रूप से दर्ज किए गए और प्रदर्श के रूप में चिह्नित किए गए - अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि धारा 27 के अंतर्गत आवश्यक कड़ी पंच साक्षियों की अनुपस्थिति के कारण नहीं जुड़ती, स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि खुलासा कथन के समय साक्षी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, बल्कि केवल सावधानी का नियम है - खुलासा कथन के साक्षी की मात्र अनुपस्थिति से बरामदगी को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। [पैरा 87, 88]

साक्ष्य - विश्वसनीयता - न्यायालय का कर्तव्य:

अभिनिर्धारित: साक्ष्य सत्य के अनावरण का माध्यम है, जो न्यायालय का मूल कर्तव्य है - इसके लिए, न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर तथ्यों को सिद्ध करना होता है - तथ्य सिद्ध करने का मानदंड संभाव्यता की डिग्री है - अतः न्यायालय साक्ष्य को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार भी कर सकता है - न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य पर विचार कर न्यायसंगत निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। [पैरा 47, 48]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान आदि प्रदान करने तथा कुछ मामलों में दंड को निलंबित, परिवर्तित या कम करने की शक्ति - उद्देश्य - अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति का क्षेत्र और परिधि - अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति *बनाम* भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएँ 473, 474, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएँ 432, 433 के अनुरूप हैं। [पैरा 14-16]

आपराधिक विधि - अपराध के कारण, प्रभाव एवं उपचार - महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों के कारण - विवेचित। [पैरा 4-12]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

शरद बिर्धिचंद सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य **[1985] 1 एससीआर 88 : (1984) 4 एससीसी 116 - अवलंबित।**

मरु राम बनाम भारत संघ एवं अन्य **[1981] 1 एससीआर 1196 : (1981) 1 एससीसी 107;** *शत्रुघ्न चौहान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **[2014] 1 एससीआर 609 : (2014) 3 एससीसी 1;** *अर्जुन पंडित्राव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल एवं अन्य* **[2020] 7 एससीआर 180 : (2020) 7 एससीसी 1;** *सुदर्शन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य* **(2014) 15 एससीसी 666;** *गिरीसन नायर एवं अन्य बनाम केरल राज्य* **[2022] 8 एससीआर 599 : (2023) 1 एससीसी 180;** *रामकिशन मिथनलाल शर्मा बनाम बॉम्बे राज्य* **[1955] एससीआर 903 : एआईआर 1955 एससी 104;** *मंज़ूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **(1982) 2 एससीसी 72;** *हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य* **[2023] 11 एससीआर 583 : (2023) 13 एससीसी 563;** *साहबुद्दीन एवं अन्य बनाम असम राज्य* **[2012] 13 एससीआर 1067 : (2012) 13 एससीसी 213;** *अनीस बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)* **[2024] 6 एससीआर 164 : 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 757;** *किशोर भाडके बनाम महाराष्ट्र राज्य* **[2017] 1 एससीआर 330 : (2017) 3 एससीसी 760;** *सजीव बनाम केरल राज्य* **[2023] 15 एससीआर 241 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1470;** *राजेश यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **[2022] 16 एससीआर 967 : (2022) 12 एससीसी 200;** *मुनिश मुबार बनाम हरियाणा राज्य* **[2012] 9 एससीआर 193 : (2012) 10 एससीसी 464;** *मध्य प्रदेश राज्य बनाम छाक्की लाल एवं अन्य* **[2018] 12 एससीआर 184 : (2019) 12 एससीसी 326 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; भारत का संविधान; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

प्रमुख शब्दों की सूची

मंगेतर की हत्या; विवाह के प्रति अनिच्छा; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; जबरन विवाह; सगाई; सगाई समारोह; सिर पर घातक चोटें; हत्या जनित मृत्यु सिद्ध; षड्यंत्र; प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अस्वीकार; उद्देश्य सिद्ध; अलिबी का झूठा दावा; अलिबी का प्रतिरक्षण; परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी सिद्ध; संदिग्ध संबंध; साक्ष्य का विनाश; कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर); दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी); भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी(4); भारत के संविधान का अनुच्छेद 161; क्षमादान का अधिकार; स्टील रॉड की बरामदगी; प्रकटीकरण कथन; संभाव्यता की डिग्री; न्यायालय साक्षी; क्षमादान, दंड स्थगन, दंड शमन, दंड रूपांतरण की शक्ति; वैधानिक शक्तियाँ; संवैधानिक शक्तियाँ; मौखिक साक्ष्य; अप्राकृतिक आचरण; विरोधाभास; ग्राह्यता; विश्वसनीयता; द्वितीयक साक्ष्य; मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य; धारा 65-बी(4) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रमाणपत्र; विस्तृत जिरह; अपराध सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध मानसिक विद्रोह है; विचलित आचरण; सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह; सामाजिक बंधनों से बंधा होना; अलगाव; समाज अथवा सामाजिक संस्थाओं से दूरी का भाव; सामाजिक मानदंडों का विघटन; तीव्र सामाजिक परिवर्तन; महिलाओं द्वारा किए गए अपराध; पीड़ितता की लैंगिक प्रतिक्रिया; सामाजिक दबाव; अवांछित विवाह; सामाजिक बंधन; सामाजिक कलंक; शिक्षा का अभाव; अपर्याप्त आर्थिक सहयोग; मूल्य-व्यवस्था के प्रति धारित धारणाएँ; सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध; विचलित व्यक्ति का सुधार एवं पुनर्वास; गरीबी; विखंडित संस्थाएँ; सहानुभूतिपूर्ण सुधारात्मक व्यवहार; संरचनात्मक सहयोग; वास्तविक परिवर्तन के अवसर; अपराधी का समाज में पुनः एकीकरण; न्यायिक पुनरीक्षण की सीमित शक्ति।

मामले की उत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1029/2011

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा सीआरएलए संख्या 722/2010 में दिनांक 04.11.2010 के निर्णय एवं आदेश से

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 1030 एवं 1225/2011 तथा आपराधिक अपील संख्या 2943/2025

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता:

आर. नेदुमारन, एस. नागमुथु, सिद्धार्थ दवे, रंजीत कुमार, जयंत के. सूद, वरिष्ठ अधिवक्ता; वाई. अरुणगिरि, श्रेयस कौशल, एम. सतीशकुमार, पी. सोमा सुंदरम, टी. वी. रत्नम, सुश्री रंजीता रोहतगी, निरनिमेष दुबे, श्रेयश ललित, सुश्री सोनिया दुबे, लवम त्यागी, हिमांशु वत्स, एस. के. कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री उदिता चक्रवर्ती, देबदीप बनर्जी, कार्तिक जसरा, प्रण्णित स्टेफानो, शायल आनंद।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता:

मुहम्मद अली खान, अतिरिक्त महाधिवक्ता; टॉमी सेबेस्टियन, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता; एस.जे. अमित, पुनित बी., एल्विन सेबेस्टियन, सुश्री विदुषी गर्ग, डॉ. श्रीमती विपिन गुप्ता, वी. एन. रघुपथी, उमर होदा, सुश्री ईशा बक्शी, उदय भाटिया, कमरान खान, अर्जुन शर्मा, सुश्री जयंती सिंह, सुश्री गुरबानी भाटिया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

<u>निर्णय</u>

एम. एम. सुंद्रेश, न्यायमूर्ति

1. एक युवा महत्वाकांक्षी लड़की की आवाज, जिसे पारिवारिक दबाव में लिए गए निर्णय ने दबा दिया, उसके मन में गहन उथल-पुथल का कारण बनी। यह स्थिति, मानसिक विद्रोह और उग्र रोमांटिक भावनाओं के अस्वस्थ मेल से प्रेरित होकर, एक निर्दोष युवा पुरुष की दुखद हत्या का कारण बनी, साथ ही तीन अन्य व्यक्तियों के जीवन को भी नष्ट कर गई।

2. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ आरोपों की गहन परीक्षा से यह निष्कर्ष निकला कि सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखते हुए, भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे "आईपीसी" कहा गया है) की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय प्रमुख अपराध के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध दी गई दोषसिद्धि की पुष्टि की जानी चाहिए। हमारे समक्ष उपस्थित अपीलकर्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा उन पर लगाए गए आजीवन कारावास के दंड को चुनौती दे रहे हैं।

3. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार, श्री एस. नागमुथु, श्री सिद्धार्थ दवे एवं श्री आर. नेदुमारन तथा प्रतिवादियों की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मुहम्मद अली खान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टॉमी सेबेस्टियन को विस्तृत रूप से सुना। इस प्रक्रिया में अभिलेख पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों एवं लिखित तर्कों का भी समुचित संज्ञान लिया गया।

अपराध और उसके कारण

4. अपराध सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए बनाए गए मानदंडों और नियमों के विरुद्ध एक मानसिक विद्रोह का रूप होता है। इसे विचलित आचरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो दूरस्थ तथा तात्कालिक दोनों प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है। समाज द्वारा लगाए गए नियामक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह का विचार इस प्रकार एक विचलित आचरण को जन्म देता है, जो प्रायः सामाजिक संस्कारों और आदतों की श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है। यह तनावग्रस्त मन, जो अलगाव और भौतिक अभाव से व्यथित होता है, नैतिकता को दरकिनार कर देता है और स्वयं-न्यायसंगत समाधान की खोज में दंड से बचने पर केंद्रित रहता है।

5. विचलित आचरण के अनेक कारण होते हैं। अपराध करने के पीछे सदैव कोई न कोई कारण होता है, जो प्रायः अभियुक्त से सीधे संबंधित नहीं होता, बल्कि सामाजिक बंधनों से जकड़ा हुआ व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। व्यक्तियों की जीवन-परंपरा भी बाहरी पर्यावरणीय कारकों जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होती है। इन कारकों में कमी ही अंततः अपराध के प्रमुख कारण बनती है। इन कारणों के अभाव में अपराध नहीं होता, क्योंकि यह मन, शरीर और क्रिया की अभिव्यक्ति मात्र है। यह भी कहा जा सकता है कि अपराध के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं, जबकि अपराधी केवल उसे अंजाम देने में भूमिका निभाता है।

6. विभिन्न रूपों में अलगाव अपराध के घटित होने के प्रमुख कारणों में से एक है, जब व्यक्ति स्वयं को समुदाय, समाज या सामाजिक संस्थाओं से कटे हुए अनुभव करता है। अलग-थलग पड़े व्यक्ति अक्सर स्वयं को असहाय और उपेक्षित महसूस करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे समाज और उसके सामाजिक मानदंडों द्वारा अस्वीकृत महसूस करने लगते हैं। सामाजिक मानदंडों का विघटन भी विचलित आचरण को बढ़ावा देता है, विशेषकर तब जब व्यक्तियों को अपने समुदायों से स्पष्ट नैतिक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। चूँकि कानून समय-समय पर बदलता रहता है, इसलिए जो विधिक रूप से सही है, वह आवश्यक नहीं कि नैतिक भी हो।

कानून द्वारा प्रेरित तीव्र सामाजिक परिवर्तन प्रायः आपराधिक आचरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं।

<u>अपराध और महिलाएँ</u>

7. अब हम विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि उपर्युक्त कारकों को महिला के संदर्भ में लागू किया जाए, तो यह उसके विरुद्ध बढ़े हुए पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है, जिससे वह पीड़ितता की लैंगिक प्रतिक्रिया का शिकार बनती है। बाहरी तत्व उसे ऐसे अंधकारमय कोने में धकेल देते हैं, जो उसके जीवन में असमानताओं को बढ़ाते हैं। महिला के विचार उस स्थान, व्यक्ति और समूह पर निर्भर करते हैं जिनसे वह जुड़ी होती है। उसके आचरण को सामाजिक मानदंड और मूल्य निर्धारित करते हैं, जो उसके अभिव्यक्ति का ही एक रूप होता है।

8. हम इस प्रतिपादन की परीक्षा एक सरल उदाहरण के माध्यम से करेंगे, एक ऐसी युवा महिला के संदर्भ में, जो अपने महत्वाकांक्षी पंख फैलाने और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छुक है। एक जबरन विवाह, जो उसे उसकी पेशेवर महत्वाकांक्षाओं से अलग कर दे और उसकी आगे की शिक्षा को सीमित कर दे, निश्चित रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। ऐसी प्रतिक्रियाएँ परिस्थितियों के आधार पर एक महिला से दूसरी महिला में भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की प्रतिक्रिया उस लड़की से भिन्न हो सकती है जो किसी गरीब या यहाँ तक कि समृद्ध परिवार से आती है। इन वर्गों के भीतर भी, किसी महिला द्वारा लिया गया निर्णय उसके जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों के प्रभाव के आधार पर भिन्न हो सकता है। अतः वह ऐसी स्थिति में पहुँच सकती है जहाँ उसे उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़े। परिवार को अपने विचार स्वीकार करने के लिए असफल प्रयास करने के पश्चात, वह बिना सूचना दिए अपना पैतृक घर छोड़ सकती है, वह हिंसक हो सकती है, या यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर सकती है। यदि सामाजिक दबाव उसे इन उपायों में से किसी को अपनाने से रोकता है और उस पर विवाह थोप दिया जाता है, तो उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। उस पर थोपे गए अवांछित विवाह को वह मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर अलगाव का सबसे बुरा रूप अनुभव करती है।

9. ऐसी स्थिति में, उसके दृष्टिकोण से संभावित समाधान भिन्न हो सकता है। सामाजिक बंधन निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक कलंक, शिक्षा की कमी, अपर्याप्त आर्थिक सहयोग, तथा मूल्य-व्यवस्था के बारे में बनी धारणाएँ जैसे कारक विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। ये कारक केवल उसके विकल्पों को सीमित नहीं करते–वे उसकी स्वतंत्रता

की धारणा को ही विकृत कर देते हैं, जिससे विरोध करना असंभव या यहाँ तक कि अनैतिक प्रतीत होने लगता है। कुछ मामलों में, वह इन दबावों को आत्मसात कर सकती है और यह मान सकती है कि पालन करना ही उसका एकमात्र विकल्प है। अन्य मामलों में, वह सूक्ष्म तथा प्रायः अदृश्य तरीकों से विरोध कर सकती है–जैसे मौन निराशा, भावनात्मक दूरी, या यहाँ तक कि गुप्त रूप से प्रतिरोध के कार्य।

<u>अपराध का प्रभाव और उसका उपचार</u>

10. चूँकि अपराध सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध का रूप है, उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। अपराध से निपटने के दो प्रमुख तरीके हैं–अपराधी को दंडित करना या उसका सुधार करना। दंड को समाज और अपराधी दोनों के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। जब दंड विधि द्वारा समर्थित होता है, तो वह समाज में अपराधों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करता है।

11. केवल दंड ही अपराध का पूर्ण समाधान नहीं है। यह अपराधी की विधिक या सामाजिक स्थिति को बदल सकता है, परंतु उसके कृत्य के मूल कारणों को समाप्त नहीं करता। अतः उद्देश्य यह होना चाहिए कि विचलित व्यक्ति का सुधार एवं पुनर्वास किया जाए ताकि उसे पुनः समाज में सम्मिलित किया जा सके। सुधारात्मक दृष्टिकोण का महत्व विशेष रूप से तब अधिक होता है जब अपराधी स्वयं उन कारणों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी नहीं होता जिनके कारण अपराध हुआ।

12. समाज, अपनी ही प्रणालीगत विफलताओं, असमानताओं या उपेक्षा के माध्यम से, प्रायः आपराधिक व्यवहार को आकार देने में भूमिका निभाता है और ऐसे व्यवहार के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी होता है, चाहे वह गरीबी, शिक्षा की कमी, भेदभाव या कमजोर संस्थाओं के कारण हो। ऐसी स्थिति में, अपराधी स्वयं एक पीड़ित बन जाता है, जिसके लिए सहानुभूतिपूर्ण सुधार, संरचनात्मक सहयोग तथा वास्तविक परिवर्तन के अवसरों के माध्यम से उचित उपायों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को पुनः समाज की मुख्यधारा में लाने के प्रयास में, यह जिम्मेदारी प्रत्येक अन्य व्यक्ति द्वारा साझा की जानी चाहिए, ताकि अंततः अलगाव और दंड के चक्र को बनाए रखने के बजाय सामुदायिक संबंधों का पुनर्निर्माण किया जा सके।

<u>भारत का संविधान, 1950 का अनुच्छेद 161</u>

13. भारत का संविधान, 1950 (जिसे आगे "संविधान" कहा गया है), जो देश का सर्वोच्च विधि है, व्यक्तियों के पुनर्सुधार को प्रोत्साहित करता है, उन्हें जीवन का एक नया अवसर प्रदान करके। यह संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में निहित है, जो संवैधानिक प्राधिकारियों को दोषियों

को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति देता है। इस संदर्भ में, हम विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों से संबंधित मूल सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 161

> **"161. राज्यपाल की क्षमादान आदि प्रदान करने तथा कुछ मामलों में दंड को निलंबित, कम या परिवर्तित करने की शक्ति.–**
>
> किसी राज्य का राज्यपाल, किसी ऐसे व्यक्ति को जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले किसी विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, क्षमादान, दंड में स्थगन, राहत या दंड में छूट प्रदान करने अथवा उसकी सजा को निलंबित, कम या परिवर्तित करने की शक्ति रखेगा।"

14. संविधान का अनुच्छेद 161 अपने भीतर एक सराहनीय उद्देश्य समाहित करता है। यह अनुच्छेद इस बात पर बल देता है कि राज्य की यह भूमिका है कि वह अपराधी को अपनी गलती का एहसास होने के पश्चात उसे पुनः समाज में सम्मिलित होने में सहायता प्रदान करे। यह शक्ति संप्रभु है और इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाना चाहिए। अतः यह संवैधानिक न्यायालय को केवल सीमित न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है।

15. यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्ति, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (जिसे आगे "**बीएनएसएस**" कहा गया है) की धाराएँ 473 और 474 के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक शक्तियों, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे "**सीआरपीसी**" कहा गया है) की धाराएँ 432 और 433 के अनुरूप हैं, के समान प्रतीत होती है, तथापि इसकी शक्तियाँ कहीं अधिक व्यापक हैं। जहाँ वैधानिक प्रावधान दोषियों के वर्गों को सामूहिक रूप से नियंत्रित करते हैं, वहीं क्षमादान का विशेषाधिकार सामान्यतः विशिष्ट परिस्थितियों में पृथक रूप से प्रयोग किया जाता है। अतः इस शक्ति का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत है और इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। संवैधानिक शक्ति मूलतः वैधानिक शक्ति से भिन्न और पृथक होती है। जहाँ वैधानिक शक्तियाँ विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों से प्राप्त होती हैं और उनमें संशोधन या निरसन किया जा सकता है, वहीं संवैधानिक शक्तियाँ स्वयं संविधान से उत्पन्न होती हैं। इसलिए, क्षमादान, स्थगन, राहत, दंड में कमी आदि की शक्ति संवैधानिक मूल्यों, उद्देश्यों और संस्कृति का हिस्सा है। वैधानिक प्रावधानों के विपरीत, जो विशेष परिस्थितियों या जनसंख्या समूहों के लिए बनाए जाते हैं, संवैधानिक शक्तियाँ राज्य

की उस व्यापक नैतिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करती हैं– जो दंड के प्रशासन में भी मानवता और समानता को प्राथमिकता देती है।

मरु राम बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1981) 1 एससीसी 107

"**72.** हम अपने निष्कर्षों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हुए अपना निर्णय समाप्त करते हैं:

(*1*) हम धारा 433-ए की वैधता के विरुद्ध किए गए सभी आक्षेपों को अस्वीकार करते हैं। दंडशास्त्रीय दृष्टि से, संभव है कि इस धारा द्वारा निर्धारित दीर्घ अवधि अनावश्यक प्रतीत हो। यदि यह हमारे विवेक पर निर्भर होता, तो हम सुधार के लिए चौदह वर्ष की अवधि की आवश्यकता को अस्वीकार कर देते। परंतु हमारा कार्य विधि की व्याख्या करना है, न कि उसे निर्मित करना; उसका अर्थ स्पष्ट करना है, न कि नया विधि-संहिता बनाना।

(*2*) हम यह पुष्टि करते हैं कि धारा 433-ए की वर्तमान प्रधानता विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए रिमिशन नियमों तथा अल्पावधि दंड संबंधी विधानों पर बनी रहेगी।

(*3*) हम संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत प्रदान की गई सभी रियायतों तथा अल्पावधि दंड संबंधी आदेशों को स्वीकार करते हैं, किन्तु आजीवन कारावास के मामलों में रिहाई केवल तब होगी जब सरकार इस संबंध में सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आदेश पारित करेगी।

(*4*) हम यह घोषित करते हैं कि धारा 432 और धारा 433 संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 का प्रतिरूप नहीं हैं, बल्कि एक पृथक, यद्यपि समान प्रकृति की शक्ति हैं, और धारा 433-ए द्वारा इन पूर्व प्रावधानों को पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त करने से संवैधानिक क्षमादान, दंड परिवर्तन आदि की शक्ति के पूर्ण प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही उससे कोई हानि होती है।"

(जोर दिया गया)

शत्रुघ्न चौहान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2014) 3 एससीसी 1

"**16.** **संविधान के अनुच्छेद 72/161 सभी दोषियों के लिए उपाय प्रदान करते हैं और केवल मृत्युदंड के मामलों तक सीमित नहीं हैं, तथा इन्हें उसी प्रकार समझा जाना चाहिए। इनमें सभी अपराधों के लिए स्थगन, रियायत, दंड परिवर्तन तथा**

क्षमादान की शक्ति निहित है, यद्‌यपि मृत्युदंड के मामले सबसे प्रबल भावना उत्पन्न करते हैं क्योंकि यह एकमात्र ऐसा दंड है जिसे एक बार निष्पादित होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता।

17. श्री अंध्यारुजीना, विद्‌वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने न्यायालय की सहायता अमिकस क्यूरी के रूप में की, ने अपनी दलीलें इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए प्रारंभ कीं कि संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित शक्ति अनुग्रह या दया का विषय नहीं है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व है, और इसका प्रयोग व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानी और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के *बिडल बनाम पेरोविच* [71 एल एड 1161 : 274 यू.एस. 480 (1927)] के निर्णय के साथ-साथ इस न्यायालय द्‌वारा *केहर सिंह बनाम भारत संघ,* (1989) 1 एस.सी.सी. 204 : 1989 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 86 और *एपुरु सुधाकर बनाम स्टेट ऑफ ए.पी.,* (2006) 8 एस.सी.सी. 161 : (2006) 3 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 438 में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया।

***

19. संक्षेप में, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रदत्त शक्ति एक संवैधानिक दायित्व है। परिणामस्वरूप, यह न तो अनुग्रह का विषय है और न ही विशेषाधिकार का, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उत्तरदायित्व है जो जनता द्‌वारा सर्वोच्च प्राधिकरण को सौंपा गया है। क्षमादान की शक्ति मूलतः एक कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही है, जिसे न्याय की सहायता में प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि उसके प्रतिकूल। आगे, यह सुस्थापित विधि है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72/161 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाना चाहिए।

***

47. यह स्पष्ट है कि न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, यदि दोषसिद्‌ध व्यक्ति राज्यपाल/राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करता है, तो संबंधित प्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे उसका त्वरित निस्तारण करें। यद्‌यपि

> **राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, तथापि कार्यपालिका का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक चरण पर कार्यवाही को शीघ्रता से आगे बढ़ाए, जैसे कि अभिलेखों, आदेशों एवं न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों का आह्वान, संबंधित मंत्री की स्वीकृति हेतु टिप्पण-पत्र की तैयारी, तथा अंततः संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लेना।** इस न्यायालय ने *त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य,* (1989) 1 एस.सी.सी. 678 : 1989 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 248 में भी यह कहा है कि यदि ऐसा करते समय यह स्थापित हो जाए कि मृत्युदंड के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब हुआ है, तो यह इस बात के निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक कारक होगा कि क्या उस दंड को क्रियान्वित किया जाना चाहिए या नहीं।
>
> (जोर दिया गया)

16. उपर्युक्त के आधार पर हम केवल यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि, भले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 473 के अंतर्गत वैधानिक शक्ति के माध्यम से कोई परिपत्र या नियम अस्तित्व में हो, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रदत्त संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किसी उपयुक्त मामले में किया जा सकता है। अतः, जहाँ वैधानिक तंत्र उपलब्ध हो, वहाँ भी संविधान के अनुच्छेद 161 का संवैधानिक अधिदेश अक्षुण्ण एवं प्रयोज्य बना रहता है, ताकि व्यक्तिगत मामलों में न्याय केवल प्रक्रियात्मक नियमों से बाधित न हो।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

17. दिसंबर 2003 के दौरान, शुभा शंकर (जिसे आगे "**ए-4**" कहा गया है), एक 20 वर्षीय युवती, बीएमएस लॉ कॉलेज, बेंगलुरु में एकीकृत बी.ए., एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के पाँचवें सेमेस्टर में अध्ययनरत थी। पीडब्लू-10, बी.एस. शंकरनारायण, ए-4 के पिता हैं तथा एक अधिवक्ता हैं। पीडब्लू-12, विजयलक्ष्मी, उनकी माता हैं। अरुण वर्मा (जिसे आगे "**ए-1**" कहा गया है) भी उसी कॉलेज में ए-4 के साथ प्रथम सेमेस्टर का छात्र था। पीडब्लू-22, एन. धनशेखरन, उसके पिता हैं, जो उस समय श्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। प्रासंगिक समय पर, दिनेश @ दिनकरण (जिसे आगे "**ए-3**" कहा गया है), 28 वर्षीय युवक था, जिसका हाल ही में विवाह हुआ था और उसका एक बच्चा भी था। पीडब्लू-14, उत्तम प्रकाश, उसके पिता हैं और पीडब्लू-13, भवानी, उसकी पत्नी है। ए-3 और ए-1 आपस में चचेरे भाई हैं, क्योंकि पीडब्लू-14 की बहन, ए-1 की माता है। वेंकटेश (जिसे आगे "**ए-2**" कहा गया है) 19 वर्षीय किशोर था। पीडब्लू-17, आनंदन, उसका पिता है। बी.वी. गिरिश (जिसे आगे **"मृतक"** कहा गया है) 26 वर्षीय युवक था, जो इंटेल

में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। पीडब्लू-6, बी. वेंकटेशा, उसके पिता हैं और पीडब्लू-5, बी.वी. रमेश उसका बड़ा भाई है।

18. ए-4 तथा उसका परिवार, साथ ही मृतक और उसका परिवार, कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ही क्षेत्र के निवासी थे। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सौहार्दपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए, ए-4 के माता-पिता ने अक्टूबर 2003 में मृतक के माता-पिता के समक्ष ए-4 के विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों परिवारों ने 20.11.2003 को उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और सगाई समारोह की तिथि 30.11.2003 निर्धारित की। निर्णयानुसार, ए-4 और मृतक का सगाई समारोह 30.11.2003 को "उडुपी हॉल" में उनके निकट संबंधियों एवं मित्रों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह के दौरान अनेक फोटोग्राफ तथा वीडियो फुटेज भी लिए गए। ए-4 और मृतक का विवाह 11.04.2004 को सम्पन्न किया जाना निर्धारित किया गया।

19. सगाई समारोह के दो दिन बाद, 03.12.2003 की शाम को, ए-4 ने मृतक से उसे टी.जी.आई. फ्राइडे' स होटल (जिसे आगे "**टी.जी.आई.एफ.** होटल" कहा गया है), जो कि इंटेल कंपनी के निकट स्थित था जहाँ वह कार्यरत था, डिनर के लिए ले जाने का अनुरोध किया। मृतक ने उसे ले जाने के लिए सहमति दी और इस योजना की जानकारी अपने माता-पिता तथा पीडब्लू-5 को दी। उसने लगभग 06:30 बजे शाम को अपने स्कूटर पर ए-4 को उसके घर से लिया और तत्पश्चात वे दोनों टी.जी.आई.एफ. होटल में भोजन के लिए गए।

20. भोजन के पश्चात, रात 09:30 बजे से 09:40 बजे के बीच, मृतक और ए-4 ने अपने माता-पिता को सूचित किया कि उन्होंने भोजन कर लिया है और वे घर लौट रहे हैं। वापसी के दौरान, वे हवाई जहाजों के उतरने को देखने के लिए एयरपोर्ट रिंग रोड स्थित "एयर व्यू पॉइंट " पर रुक गए। उसी समय, एक अज्ञात हमलावर ने लोहे की रॉड से हमला कर मृतक के सिर पर घातक चोटें पहुँचाईं और घटना के बाद वहाँ से फरार हो गया। ए-4 ने राहगीरों की सहायता से एक मारुति कार रोकी, मृतक को कार की पिछली सीट पर लिटाया और उसे एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया। ए-4 ने घटना की जानकारी अपने पिता पीडब्लू-10 को दी, जिन्होंने आगे पीडब्लू-12 को सूचित किया। उसने पीडब्लू-5 को भी इसकी सूचना दी। सूचना प्राप्त होने पर, पीडब्लू-5 अपने माता-पिता तथा ए-4 की माता को अस्पताल ले गया। तब तक पीडब्लू-10 भी अपने कार्यालय से अस्पताल पहुँच चुके थे। 03.12.2003 और 04.12.2003 की मध्यरात्रि के लगभग 02:00 बजे, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-5 को छोड़कर अन्य सभी लोग घर लौट गए, जबकि वे अस्पताल में ही रुके रहे। 04.12.2003 की प्रातःकाल, पीडब्लू-6, पीडब्लू-12 और ए-4 पुनः अस्पताल पहुँचे। लगभग 08:05 बजे, मृतक को मृत घोषित कर दिया गया। पीडब्लू-5 ने ए-4 से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन में एक

लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (जिसे आगे "**एफ.आई.आर.**" कहा गया है) दर्ज की गई। उक्त एफ.आई.आर. पुलिस निरीक्षक पीडब्लू-31, के.ए. ननैयाह द्वारा दर्ज की गई, जो इस मामले के प्रथम अन्वेषण अधिकारी (जिसे आगे "**आई.ओ.**" कहा गया है) थे। अन्वेषण के दौरान, ए-1 से ए-4 को 25.01.2004 को गिरफ्तार किया गया। पीडब्लू-31 ने 17.02.2004 तक अन्वेषण जारी रखा, जिसके पश्चात मामला दाऊद खान, पीडब्लू-32 को सौंप दिया गया, जो इस मामले के अगले अन्वेषण अधिकारी थे। 17.04.2004 को आरोपपत्र दायर किया गया, जिसके बाद 10.01.2005 को एक पूरक आरोपपत्र भी प्रस्तुत किया गया।

21. विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी तथा धारा 302 सहपठित धारा 120-बी के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए, जबकि ए-4 के विरुद्ध अतिरिक्त रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सूचीबद्ध 64 गवाहों में से 33 गवाहों का परीक्षण विचारण न्यायालय के समक्ष किया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाहों का परीक्षण किया गया। कुल मिलाकर अभियोजन द्वारा 111 प्रदर्श अंकित किए गए तथा 17 भौतिक वस्तुएँ (जिसे आगे "एम.ओ." कहा गया है) विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं। बचाव पक्ष द्वारा 64 प्रदर्श अंकित किए गए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उनके बयान दर्ज किए जाने के दौरान, अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त अभियोगात्मक सामग्री से उन्हें विधिवत अवगत कराया गया।

22. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों का दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन का मामला इस आधार पर था कि ए-4 मृतक से विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं थी और उसने अपनी यह पीड़ा अपने निकट मित्र ए-1 के समक्ष व्यक्त की। ए-1 ने उसकी स्थिति देखकर अपने चचेरे भाई ए-3 से सहायता मांगी। ए-3 ने मृतक को समाप्त करने के उद्देश्य से अपने मित्र ए-2 को इस योजना में शामिल किया, ताकि ए-4 का मृतक के साथ विवाह रोका जा सके और इस प्रकार अभियुक्तों ने आपस में षड्यंत्र कर मृतक की हत्या की।

23. 03.12.2003 को, ए-4 मृतक के साथ उसके स्कूटर पर भोजन के बाद लौटते समय उसे हवाई जहाजों के उतरने को देखने के लिए एयरपोर्ट रिंग रोड स्थित "एयर व्यू पॉइंट" पर ले गई। ए-1 और ए-2 एक स्कूटर (एम.ओ.12) पर उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि ए-4 लगातार एसएमएस के माध्यम से ए-1 को उनके स्थान की जानकारी दे रही थी। ए-3 पूरे समय वॉइस कॉल के माध्यम से ए-1 और ए-2 को निर्देश देता रहा और इस प्रकार घटना से ठीक पहले सभी अभियुक्त आपस में निरंतर संपर्क में थे, जो घटना लगभग 09:40 बजे से 10:00 बजे

के बीच हुई। जब मृतक और ए-4 हवाई जहाजों के उतरने को देख रहे थे, तब ए-2 ने लोहे की रॉड (एम.ओ.11) से मृतक पर कई बार प्रहार किया, जबकि ए-1 स्कूटर पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद ए-2 स्कूटर पर ए-1 के पीछे बैठ गया और वे दोनों घटनास्थल से फरार हो गए। इस घटना को दो प्रत्यक्षदर्शियों, पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 ने देखा। घटना के बाद, ए-4 द्वारा मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अगले दिन प्रातः उसकी मृत्यु हो गई।

24. उक्त सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, अभियोजन ने मुख्यतः पीडब्लू-8, पीडब्लू-11 और पीडब्लू-23 के साक्ष्य पर भरोसा किया ताकि उद्देश्य (मोटिव) स्थापित किया जा सके, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (जिसे आगे **"सी.डी.आर."** कहा गया है) पर, जो 25.11.2003 से 04.12.2003 के बीच अभियुक्तों के बीच व्यापक संचार को दर्शाते हैं, पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों पर, तथा अभियुक्तों के कथन पर बरामद की गई लोहे की रॉड और स्कूटर की बरामदगी पर।

25. पीडब्लू-8, हेमा, वह ब्यूटीशियन है जिसने 29.11.2003 को ए-4 के लिए मेहंदी लगाई और 30.11.2003 को सगाई समारोह के लिए ए-4 को तैयार भी किया। उसने बयान दिया कि 29.11.2003 को मेहंदी लगाते समय ए-4 ने उसे गले लगाया और बताया कि वह मृतक से विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं है, तथा उससे अनुरोध किया कि वह विवाह को रोकने के लिए कुछ भी करे। ए-4 ने पीडब्लू-8 को यह भी बताया कि यदि सगाई हो भी जाए, तो वह भागकर अपने मित्र ए-1 से विवाह कर लेगी। पीडब्लू-8 ने यह बात पीडब्लू-9, उमाशशी, जो ए-4 की मौसी है, को बताई। किन्तु पीडब्लू-9 ने पीडब्लू-8 से चुप रहने को कहा क्योंकि सगाई पहले ही तय हो चुकी थी और इससे परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होती। पीडब्लू-8 ने आगे कहा कि 30.11.2003 को जब वह ए-4 के घर मेकअप करने गई, तब ए-4 ने उससे कहा कि यदि गिरिश मर जाए तो सगाई रुक जाएगी और वह ए-1 के साथ भाग सकेगी, तथा उसके सहयोगी इसमें उनकी सहायता करेंगे। पीडब्लू-8 ने यह भी जोड़ा कि गिरिश की मृत्यु के बाद, जब वह 05.12.2003 को ए-4 के घर गई, तब ए-4 ने उससे कहा कि उसने विवाह से छुटकारा पा लिया है क्योंकि गिरिश उसकी इच्छा के अनुसार मर गया, और अब वह अगले दो वर्षों तक खुशी से रह सकती है।

26. पीडब्लू-11, शीतल राजगोपाल, ए-4 की संगीत कक्षा के दिनों की मित्र है। उसने बयान दिया कि ए-4 ने उसे सगाई समारोह में आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए उसे इसकी जानकारी नहीं थी। तथापि, उसने कहा कि कमला नामक एक नौकरानी, जो ए-4 के घर काम करती थी, ने उसे सगाई के बारे में बताया, जिसके बाद पीडब्लू-11 ने ए-4 को फोन कर बधाई दी। किन्तु

ए-4 ने उससे कहा कि वह इस विवाह के विचार से खुश नहीं है, और पीडब्लू-11 ने इस विषय में आगे कोई पूछताछ नहीं की।

27. पीडब्लू-23, प्रमोद दीक्षित, ए-4 का प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज का मित्र है। उसने बयान दिया कि वे घनिष्ठ मित्र थे और निरंतर संपर्क में रहते थे। वह 30.11.2003 को आयोजित सगाई समारोह में भी उपस्थित था। उसने कहा कि सगाई से पूर्व, जब उसने ए-4 से फोन पर बात की, तो उसने उससे कहा कि उसे मृतक का जीवन-शैली पसंद नहीं है, क्योंकि वह महंगे होटलों और रेस्तरां में जाना पसंद नहीं करता था, जबकि वह स्वयं एक आनंदप्रिय जीवन-शैली चाहती थी। उसने यह भी व्यक्त किया कि वह इतनी कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहती थी।

28. अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए सी.डी.आर. से यह स्पष्ट हुआ कि 25.11.2003 से 04.12.2003 की अवधि के दौरान सभी अभियुक्तों के बीच भारी मात्रा में कॉल्स/एसएमएस का आदान-प्रदान हुआ था। इसमें विशेष रूप से ए-1 और ए-4 के बीच निरंतर कॉल्स/एसएमएस का आदान-प्रदान दर्शाया गया।

29. पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 ने यह गवाही दी कि 03.12.2003 की रात लगभग 09:45 बजे, जब वे अपने दोपहिया वाहन पर घर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि ए-2 ने मृतक के सिर के पीछे लोहे की रॉड से प्रहार किया, जबकि ए-4 उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। मृतक तत्क्षण बेहोश हो गया। शोर मचाने पर, ए-2 वहाँ से भाग गया और ए-1 के पीछे स्कूटर पर बैठ गया, और वे दोनों घटनास्थल से फरार हो गए। पीडब्लू-15 ने यह भी कहा कि उसने एक गुजरती हुई कार को रोककर ए-4 की सहायता की और एक ऑटो-रिक्शा चालक की मदद से मृतक को कार की पिछली सीट पर लिटाया। इसके बाद उसने मृतक के स्कूटर को अपने घर ले जाकर अपने किरायेदार की सहायता से इंटेल के सुरक्षा अधिकारियों को सूचित किया, जो उसके घर आए और मृतक के सामान को ले गए। पीडब्लू-16 ने बयान दिया कि वह पीडब्लू-15 के दोपहिया वाहन के साथ वहाँ से चला गया।

30. अभियुक्तों की 25.01.2004 को गिरफ्तारी के पश्चात, अपराध के निष्पादन में प्रयुक्त एम.ओ.11 और एम.ओ.12 को पीडब्लू-31 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 (जिसे आगे "आई.ई.ए" कहा गया है) के अंतर्गत ए-1 और ए-2 द्वारा दिए गए खुलासा कथनों के आधार पर बरामद किया गया।

31. 13.07.2010 को, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केवल ए-2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया

गया और उसे भी आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अतिरिक्त, ए-4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया और उसे 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी गई, जिसमें सभी सजाएँ साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त अभियोजन सामग्री को स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि प्रदान की, जिसमें सी.डी.आर. और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों पर विशेष रूप से भरोसा किया गया। विचारण न्यायालय ने ए-1 द्वारा उठाई गई *अनुपस्थिति* की दलील को भी असत्य पाया तथा पीडब्लू-9, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 के साक्ष्य को अविश्वसनीय माना क्योंकि वे हितग्राही गवाह थे।

32. उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य तथा अपीलकर्ताओं दोनों द्वारा अपीलें दायर की गईं। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120-बी के अंतर्गत परिवर्तित किया। अपीलकर्ताओं पर आरोपित आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय, जो व्यापक रूप से विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमत था, को चुनौती देते हुए वर्तमान अपीलें दायर की गई हैं।

<u>अपीलकर्ताओं के तर्क</u>

33. संक्षेपता की दृष्टि से, हम अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का सामूहिक रूप से विचार करना प्रस्तावित करते हैं।

34. पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे गढ़े हुए गवाह हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उनके बयान दर्ज करने में विलंब हुआ है, विशेषकर पीडब्लू-16 के मामले में, जिसका बयान घटना के दो महीने बाद दर्ज किया गया, जबकि वह इस अवधि में उपलब्ध था। पीडब्लू-15 का आचरण भी घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति को संदिग्ध बनाता है, क्योंकि उसने घटना की सूचना पुलिस को देने के बजाय मृतक के स्कूटर को अपने घर ले जाकर अपने दोपहिया वाहन को पीडब्लू-16 के पास छोड़ दिया। एक भूतपूर्व सैनिक होने के बावजूद उसने पुलिस को घटना की सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बल्कि, अगले दिन प्रातः एफ.आई.आर. के पंजीकरण से पूर्व ही आई.ओ. ने उसे फोन किया और उससे बयान देने को कहा, यह कहते हुए कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। पुलिस को इसकी जानकारी किस स्रोत से मिली, यह अज्ञात है। पीडब्लू-15 के साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि वह पहले से पीडब्लू-31 को जानता था, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है। पीडब्लू-15 के साक्ष्य में पीडब्लू-16 की उपस्थिति के संबंध में भी कोई

स्पष्टता नहीं है। इसके अतिरिक्त, वे सभी गवाह, जो घटना स्थल पर पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 की उपस्थिति की पुष्टि कर सकते थे, जैसे वह कार जिसमें मृतक को अस्पताल ले जाया गया, पीडब्लू-15 का किरायेदार और इंटेल के सुरक्षा अधिकारी, उन्हें अभियोजन द्वारा सुविधानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया, जिन कारणों का ज्ञान केवल अभियोजन को ही है।

35. पीडब्लू-8 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है क्योंकि यह पीडब्लू-9, पीडब्लू-10, पीडब्लू-12, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-31 के साक्ष्यों के विपरीत है। सगाई समारोह में उसकी उपस्थिति को अभियोजन द्वारा न तो उसकी डायरी प्रस्तुत करके और न ही उस दिन के फोटोग्राफ प्रस्तुत करके सिद्ध किया गया है, जिससे उसकी उपस्थिति ही संदिग्ध हो जाती है। उसके बयान को दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ, क्योंकि यह 14.01.2004 को दर्ज किया गया, जबकि उसे 05.12.2003 को ही ए-4 से सूचना प्राप्त हो गई थी, और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उसने कई अवसरों पर स्वयं के बयान में विरोधाभास प्रस्तुत किए हैं, विशेष रूप से पीडब्लू-6 और पीडब्लू-31 को दी गई जानकारी के संबंध में।

36. पीडब्लू-11 का साक्ष्य दूषित है, क्योंकि वह एक हितग्राही गवाह है जो मृतक के परिवार को जानती है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह विचारण न्यायालय में मृतक की बहन के साथ आई थी। कमला, जिससे उसे ए-4 की सगाई के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी, न तो गवाह के रूप में सूचीबद्ध की गई है और न ही अभियोजन द्वारा उसका परीक्षण किया गया है। यद्यपि उसने बयान दिया कि वह सगाई समारोह में उपस्थित नहीं थी, किन्तु पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 के साक्ष्य इसके विपरीत हैं। उसका बयान पुलिस द्वारा फरवरी, 2004 में अत्यधिक विलंब से दर्ज किया गया।

37. पीडब्लू-23 के साक्ष्य पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने पुलिस के दबाव और भय के कारण बयान दिया है। पुलिस द्वारा दर्ज उसके बयान में घटना के बाद ए-4 के साथ उसकी बातचीत का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, उसके मोबाइल फोन को भी अन्वेषण अधिकारी आई.ओ. द्वारा सुरक्षित या जब्त नहीं किया गया, जबकि उसके और ए-4 के बीच अनेक एसएमएस का आदान-प्रदान हुआ था।

38. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सी.डी.आर. पर किया गया भरोसा विधिक आधार से रहित है। सी.डी.आर. के समर्थन में साक्ष्य देने वाले गवाह पीडब्लू-24 और पीडब्लू-25 सक्षम नहीं थे। केवल इस आधार पर कि वे प्रासंगिक समय पर दूरसंचार सेवा प्रदाता (जिसे आगे "**टी.एस.पी.**" कहा गया है) के साथ कार्यरत थे, उनके साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, विशेषकर तब जब सक्षम अधिकारी उपलब्ध थे। टी.एस.पी. द्वारा जारी प्रमाणपत्र भारतीय

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के अनुरूप नहीं हैं। एम/एस रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड (जिसे आगे "रिलायंस" कहा गया है) द्वारा जारी प्रमाणपत्र के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि 29.09.2004 का प्रमाणपत्र पीडब्लू-24 द्वारा जारी किया गया, न कि श्री रमणी द्वारा, जो नोडल अधिकारी थे और जिन्होंने वास्तव में डेटा निकाला और पुलिस को भेजा था। यह अन्वेषण एजेंसी की गंभीर त्रुटि है, क्योंकि श्री रमणी अक्टूबर 2004 तक रिलायंस में कार्यरत थे और वही एकमात्र सक्षम अधिकारी थे जिन्हें प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए था। पीडब्लू-24 ने स्वीकार किया कि सी.डी.आर. वास्तव में मुंबई स्थित मुख्य सर्वर में संग्रहीत थे और उनसे प्राप्त आउटपुट ई-मेल के माध्यम से उसे भेजा गया, जिसके बाद उस ई-मेल से प्रिंटआउट लिया गया। किन्तु रिलायंस द्वारा जारी प्रमाणपत्र में इसका उल्लेख नहीं है और इस प्रकार यह धारा 65-बी(4) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। इसी प्रकार, एम/एस एयरटेल भारती लिमिटेड (जिसे आगे "एयरटेल" कहा गया है) द्वारा जारी प्रमाणपत्र भी इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि इसमें उस उपकरण का उल्लेख नहीं है जिससे आउटपुट लिया गया और न ही यह बताया गया है कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया गया। यह निर्धारित प्रारूप में भी जारी नहीं किया गया है। एयरटेल द्वारा प्रस्तुत सी.डी.आर. में भी महत्वपूर्ण अनियमितताएँ और त्रुटियाँ हैं, जो यह दर्शाती हैं कि उसमें मैनुअल हस्तक्षेप द्वारा छेड़छाड़ की गई है। यह पीडब्लू-25 के इस कथन से समर्थित है कि उसने पुलिस के कहने पर टावर लोकेशन से संबंधित डेटा के लिए हस्तलिखित प्रविष्टियाँ की थीं। सी.डी.आर. द्वारा प्रदान किया गया डेटा मूलतः अविश्वसनीय है और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीडब्लू-25 ने अपने जिरह में स्वीकार किया कि टावर का कवरेज क्षेत्र लगभग 6-7 किलोमीटर का है, जो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र है, अर्थात 12-14 किलोमीटर के व्यास में आने वाला कोई भी व्यक्ति उस टावर से सेवा प्राप्त कर सकता है। अतः सी.डी.आर., भले ही ग्राह्य हो, अपने आप में अपीलकर्ताओं को अभियुक्त नहीं ठहराता और उसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

39. एम.ओ.11 की बरामदगी के संबंध में यह तर्क दिया गया कि उक्त बरामदगी टिकाऊ नहीं है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत खुलासा कथन ए-1 और ए-2 दोनों द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए थे। उनके कथनों के आधार पर एम.ओ.11 को एक खुले स्थान से बरामद किया गया। धारा 27 के अंतर्गत अपेक्षित कड़ी अनुपस्थित है, क्योंकि एम.ओ.11 की बरामदगी के पंच गवाह यह सिद्ध नहीं कर सकते कि बरामदगी अभियुक्तों के खुलासा कथन के आधार पर हुई थी, क्योंकि वह कथन उनके समक्ष दर्ज नहीं किया गया था। इसे पुलिस स्टेशन में पीडब्लू-15 को बिना उचित सीलिंग के खुले रूप में दिखाया गया था। साक्ष्यों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, क्योंकि एम.ओ.11 की एफ.एस.एल रिपोर्ट में लोहे की रॉड पर

रक्त के धब्बों की उपस्थिति दर्ज है, जबकि पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर पीडब्लू-18 ने कहा कि उसे उस पर कोई रक्त के धब्बे नहीं मिले। इसी प्रकार, साक्ष्य में यह भी स्पष्ट नहीं है कि एम.ओ.11 एक लोहे की रॉड है या लोहे की पाइप। ए-1 के घर से एम.ओ.12 की बरामदगी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उक्त स्कूटर उसकी बहन डीडब्ल्यू-3 द्वारा तमिलनाडु में उपयोग किया जा रहा था। पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 द्वारा स्कूटर की पहचान भी अत्यंत संदिग्ध है, क्योंकि वे वाहन का पंजीकरण संख्या नहीं बता सके।

40. यदि पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला बन जाएगा। सभी अभियुक्तों को जोड़ने के लिए पर्याप्त कड़ी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि अभियोजन के मामले के अनुसार भी, ए-2 केवल ए-3 के संपर्क में था, सिवाय कुछ अवसरों के जब ए-1 ने भी ए-2 से संपर्क किया, और कथित षड्यंत्र की संपूर्ण अवधि के दौरान ए-4 द्वारा ए-2 से केवल एक बार संपर्क किया गया। इसके अतिरिक्त, ए-4 मृतक से भी बातचीत कर रही थी। यदि पीडब्लू-8, पीडब्लू-11 और पीडब्लू-23 के साक्ष्यों पर विश्वास न किया जाए, तो अभियोजन उद्देश्य को भी सिद्ध नहीं कर पाया है। ए-3 के विरुद्ध, सी.डी.आर. के अतिरिक्त उसे अभियुक्त ठहराने के लिए कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। निस्संदेह, यह ऐसा मामला है जिसमें इस न्यायालय को संदेह का लाभ देना चाहिए, क्योंकि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं किया है। अपने तर्कों के समर्थन में, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है, जैसे अर्जुन पंडित्राव खोत्तकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंत्याल एवं अन्य, (2020) 7 एस सी सी 1, सुदर्शन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2014) 15 एस सी सी 666, गिरीसन नायर एवं अन्य बनाम केरल राज्य, (2023) 1 एस सी सी 180, रामकिशन मिथनलाल शर्मा बनाम बॉम्बे राज्य, ए.आई.आर 1955 एस.सी 104 तथा मनज़ूर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1982) 2 एस सी सी 72.

<u>प्रतिवादियों के तर्क</u>

41. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण विसंगतियाँ उपलब्ध हैं, तथापि न्यायालय को समग्र रूप से उपलब्ध साक्ष्य को देखना होगा। घटना स्थल पर ए-4 की उपस्थिति विवादित नहीं है। यह तथ्य पीडब्लू-5, पीडब्लू-6, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 के साक्ष्यों तथा दुर्घटना रजिस्टर द्वारा भी सिद्ध होता है। अतः, मृतक की हत्या तथा घटना स्थल पर ए-4 की मृतक के साथ उपस्थिति सिद्ध है।

42. प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 के साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुरूप हैं। उनके साक्ष्यों की गुणवत्ता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इसके अतिरिक्त, वे निष्पक्ष गवाह हैं और उनका मृतक से कोई पूर्व संबंध नहीं था, इसलिए उनके पास अभियुक्तों को झूठा फँसाने का कोई कारण नहीं है।

43. ए-4 द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक की हत्या करने का उद्देश्य पीडब्लू-8, पीडब्लू-11 और पीडब्लू-23 के साक्ष्यों से सिद्ध होता है। पीडब्लू-8 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि ए-4 न केवल मृतक से विवाह करने के लिए अनिच्छुक थी, बल्कि वह ए-1 के साथ भाग जाना भी चाहती थी। पीडब्लू-11 ने भी ए-4 की इस विवाह के प्रति असंतोष की पुष्टि की। पीडब्लू-23, जो वास्तव में ए-4 का विश्वासपात्र है, का साक्ष्य भी पीडब्लू-8 और पीडब्लू-11 के साक्ष्यों के अनुरूप है। अतः उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

44. पीडब्लू-24 और पीडब्लू-25, जो सक्षम अधिकारी हैं, के साक्ष्यों ने सी.डी.आर. की प्रामाणिकता स्थापित की, जिन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए) की धारा 65-बी के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणपत्रों के माध्यम से विधिवत सिद्ध किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों ने इन अभिलेखों के साक्ष्यात्मक मूल्य को स्वीकार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि कॉल्स और एसएमएस के आदान-प्रदान की मात्रा एवं समय से अभियुक्तों के बीच पूर्वनियोजित षड्यंत्र का स्पष्ट संकेत मिलता है।

45. अभियुक्तों के कथन के आधार पर एम.ओ.11 और एम.ओ.12 की बरामदगी को अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने लगातार स्वीकार किया है। अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य भी मृतक को चोट पहुँचाने के लिए एम.ओ.11 के उपयोग की पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त, ए-1 द्वारा उठाई गई *अनुपस्थिति* की दलील तथा एम.ओ.12 की बरामदगी के संबंध में प्रस्तुत बचाव को भी विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अस्वीकार कर दिया है।

46. बरामदगी, प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण, सी.डी.आर. तथा उद्देश्य से संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने स्वीकार किया है, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है, जैसे हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2023) 13 एस सी सी 563, साहबुद्दीन एवं अन्य बनाम असम राज्य, (2012) 13 एस सी सी 213, अनीस बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2024 एस सी सी ऑनलाइन एस.सी 757, किशोर भाडके बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2017) 3 एस सी सी 760 तथा सजीव बनाम केरल राज्य, 2023 एस सी सी ऑनलाइन एस.सी 1470.

<u>साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता</u>

47. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने से पूर्व, हम यह उपयुक्त समझते हैं कि वर्तमान अपीलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू होने वाले प्रासंगिक सिद्धांतों पर चर्चा की जाए। न्यायालय का यह मूल कर्तव्य है कि वह प्रयास करे और सत्य का पता लगाए। साक्ष्य, सत्य को उजागर करने का साधन है। ऐसा करने के लिए, किसी तथ्य को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराई गई सामग्रियों पर समुचित ध्यान देकर सिद्ध करना होता है। किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त मानदंड संभाव्यता की डिग्री है।

राजेश यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 12 एस सी सी 200.

"विधि के सिद्धांत

11. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3:

"3. ***व्याख्या उपबंध.***–इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया गया है, जब तक कि संदर्भ से कोई विपरीत आशय प्रकट न हो-

....

"*साक्ष्य*".–"साक्ष्य" से अभिप्राय है और इसमें शामिल है–

(1) वे सभी कथन, जिन्हें न्यायालय अनुमति देता है या अपेक्षा करता है कि वे गवाहों द्वारा उसके समक्ष, जांचाधीन तथ्यों के संबंध में किए जाएँ; ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं;

(2) वे सभी दस्तावेज, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं; ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं।

"सिद्ध".–किसी तथ्य को सिद्ध कहा जाता है जब न्यायालय, उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों पर विचार करने के बाद, या तो उसके अस्तित्व पर विश्वास करता है, या उसके अस्तित्व को इतना संभाव्य मानता है कि एक समझदार व्यक्ति, उस विशेष मामले की परिस्थितियों में, यह मानकर कार्य करेगा कि वह तथ्य अस्तित्व में है।

"असिद्ध".–किसी तथ्य को असिद्ध कहा जाता है जब न्यायालय, उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों पर विचार करने के बाद, या तो यह विश्वास

करता है कि वह अस्तित्व में नहीं है, या उसके अस्तित्व न होने को इतना संभाव्य मानता है कि एक समझदार व्यक्ति, उस विशेष मामले की परिस्थितियों में, यह मानकर कार्य करेगा कि वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है।"

12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 "साक्ष्य" को परिभाषित करती है, जिसे व्यापक रूप से मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य में विभाजित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत "साक्ष्य" वह साधन, कारक या सामग्री है, जो तार्किक निष्कर्ष के माध्यम से किसी तथ्य के अस्तित्व के प्रति संभाव्यता की एक डिग्री प्रदान करती है। यह एक "सहायक विधि" है, जो मूल विधि को स्पष्ट करती है और उसकी सहायता करती है। अतः यह न तो पूर्णतः प्रक्रियात्मक है और न ही पूर्णतः मूलभूत, यद्यपि दोनों के लक्षण इसमें परिलक्षित होते हैं।

13. "सिद्ध" शब्द की परिभाषा यद्यपि केवल व्याख्या का आभास देती है, परंतु वास्तव में यह सम्पूर्ण अधिनियम का मूल तत्व है। यह उपबंध स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए "उसके समक्ष उपलब्ध सामग्रियों" पर विचार किया जाना चाहिए। किसी तथ्य को सिद्ध करने में संभाव्यता की डिग्री का महत्व है, जो न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्रियों के विचार से निर्धारित होती है। न्यायालय को जिस बात का निर्धारण करना होता है, वह है किसी तथ्य का अस्तित्व और उसका प्रमाण, जो तार्किक प्रभाव के माध्यम से संभाव्यता की डिग्री द्वारा स्थापित होता है।

14. मैटर्स किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए आवश्यक, सहगामी भौतिक तत्व होते हैं। प्रत्येक साक्ष्य "मैटर्स" होगा, परंतु प्रत्येक "मैटर्स" साक्ष्य नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, "मैटर्स" को एक वृहत्तर वर्ग कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत साक्ष्य एक उपवर्ग है। मैटर्स साक्ष्य को बल प्रदान करते हैं और सत्य की खोज में न्यायालय को पर्याप्त आधार उपलब्ध कराते हैं। अतः "मैटर्स" की परिभाषा व्यापक है और "साक्ष्य" की तुलना में अधिक विस्तृत है। तथापि, एक अपवाद है कि न्यायालय ऐसे "मैटर्स" पर विचार नहीं कर सकता जो विधि द्वारा वर्जित होने के कारण साक्ष्य का रूप ग्रहण कर लेते हैं। किसी तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए न्यायालय के लिए "मैटर्स" आवश्यक होते हैं।

15. "मैटर्स" न्यायालय को किसी तथ्य के अस्तित्व के निर्धारण में अधिक विवेक और लचीलापन प्रदान करते हैं। इनमें साक्ष्य के सभी वर्ग सम्मिलित होते हैं, जैसे कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, पुष्टिकरण साक्ष्य, व्युत्पन्न साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, श्रुत-साक्ष्य, अप्रत्यक्ष साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, मूल साक्ष्य, अनुमानित साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, ठोस साक्ष्य, गवाही साक्ष्य आदि।

16. इसके अतिरिक्त, "मैटर्स" संभाव्यता की डिग्री को बढ़ाकर किसी तथ्य के अस्तित्व को सिद्ध करने में साक्ष्य की पूरक भूमिका निभाते हैं। चूँकि "मैटर" शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी है, इसलिए "अर्थ है तथा इसमें शामिल है (मिन्स और इंक्लूड्स)" शब्दों की जो परिभाषा साक्ष्य के लिए लागू होती है, उसे "मैटर" पर भी लागू किया जाना चाहिए। अतः "मैटर" में वे सभी तत्व सम्मिलित हो सकते हैं जो धारा 3 की परिभाषा में नहीं आते, बशर्ते कि उन पर कोई स्पष्ट विधिक निषेध न हो।

17. न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने समक्ष उपलब्ध "मैटर्स" का विश्लेषण करते हुए संभाव्यता की डिग्री के आधार पर किसी तथ्य के अस्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाले। सम्पूर्ण अधिनियम का उद्देश्य न्यायालय को किसी तथ्य को सिद्ध करने के संबंध में उपयुक्त निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायता करना है। न्यायालय इस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए दो विधियाँ अपना सकता है। प्रथम, वह अपने समक्ष उपलब्ध "मैटर्स" के आधार पर यह मत बना सकता है कि तथ्य वास्तव में अस्तित्व में है। यह विश्वास न्यायालय द्वारा उन "मैटर्स" के मूल्यांकन पर आधारित होता है। वैकल्पिक रूप से, न्यायालय किसी समझदार व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह मान सकता है कि उक्त तथ्य का अस्तित्व संभाव्य है और वह उसी आधार पर कार्य करेगा। इन विकल्पों में से किसे अपनाया जाए, यह निर्णय न्यायालय पर निर्भर करता है और यह निर्णय उसके समक्ष उपलब्ध "मैटर्स" की गुणवत्ता से प्रभावित हो सकता है।

18. "प्रूडेंट" शब्द की परिभाषा अधिनियम में नहीं दी गई है। जब न्यायालय परिभाषा के दूसरे भाग को अपनाता है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को एक समझदार व्यक्ति के रूप में स्थापित करे। ऐसे समझदार व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। अतः न्यायाधीश को पहले एक सामान्य समझदार व्यक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करके, उपलब्ध

“मैटर्स” के आधार पर तथ्य के अस्तित्व का आकलन करना होता है, और तत्पश्चात वह पुनः न्यायाधीश की भूमिका में आकर मामले में आगे बढ़ता है।

19. उपर्युक्त प्रावधान यह भी इंगित करता है कि न्यायालय का ध्यान किसी गवाह की संपूर्ण गवाही के बजाय, विवादित एवं प्रासंगिक तथ्यों के अस्तित्व पर होता है। अतः ध्यान उस तथ्य के प्रमाण पर होता है जिसके लिए गवाह आवश्यक होता है। इसलिए न्यायालय किसी गवाह की गवाही को किसी एक मुद्दे पर स्वीकार कर सकता है और अन्य मुद्दों पर अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसका ध्यान उस तथ्य पर केंद्रित होता है जिसे सिद्ध किया जाना है। तथापि, यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी गवाह की संपूर्ण गवाही का मूल्यांकन, उसकी विश्वसनीयता सहित, न्यायालय द्वारा संभाव्यता के आधार पर किया जाना एक पृथक विषय है। किसी मुद्दे का निष्कर्ष निकाला गया है या नहीं, यह भी न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार है।

साक्ष्य का मूल्यांकन

20. हम पहले ही साक्ष्य के विभिन्न वर्गों का उल्लेख कर चुके हैं। उपर्युक्त साक्ष्य तथा उससे संबंधित मैटर्स का मूल्यांकन करते समय, साक्ष्य को व्यापक रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् (i) पूर्णतः विश्वसनीय, (ii) पूर्णतः अविश्वसनीय, तथा (iii) न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय। यदि साक्ष्य, उससे संबंधित मैटर्स सहित, न्यायालय को किसी मुद्दे के संबंध में पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत होता है, तो वह संभाव्यता की डिग्री के आधार पर उसके अस्तित्व का निर्धारण कर सकता है। इसी प्रकार, जब साक्ष्य विश्वसनीय नहीं होता, तब भी न्यायालय निष्कर्ष निकाल सकता है। परंतु जब साक्ष्य न तो पूर्णतः विश्वसनीय हो और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय, तब पुष्टिकरण की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसी स्थिति में न्यायालय अन्य मैटर्स में उपलब्ध विरोधाभासों पर भी ध्यान दे सकता है।

21. उपर्युक्त विधिक सिद्धांत इस न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय *वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य,* 1957 एस.सी. आर 981 : ए.आई.आर 1957 एस.सी 614 : (ए.आई.आर पृष्ठ 619, पैरा 11-12) में प्रतिपादित किया गया है–

> “*11.* उपर्युक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में, हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई संकोच नहीं है कि यह तर्क कि हत्या के मामले में न्यायालय को

गवाहों की बहुलता पर जोर देना चाहिए, अत्यधिक व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि 'किसी भी मामले में किसी तथ्य के प्रमाण के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी।' विधायिका ने, सन् 1872 में ही, संभवतः पक्ष-विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात यह निर्धारित कर दिया था कि किसी तथ्य के प्रमाण या अप्रमाण के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों को बुलाना आवश्यक नहीं होगा। इंग्लैंड में, साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पारित होने से पूर्व और उसके पश्चात भी, *सरकर की लॉ ऑफ एविडेंस* - 9वां संस्करण के पृष्ठ 1100 और 1101 पर उल्लिखित अनुसार, ऐसे अनेक विधायी प्रावधान रहे हैं, जिनमें एकल गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय विधायिका ने उपर्युक्त धारा 134 में निहित सामान्य सिद्धांत के लिए ऐसे किसी अपवाद को निर्धारित करने पर जोर नहीं दिया है। यह धारा इस सुविख्यात सिद्धांत को स्थापित करती है कि "साक्ष्य को गिना नहीं जाता, बल्कि तौला जाता है।" हमारी विधायिका ने इस तथ्य को विधिक मान्यता प्रदान की है कि यदि किसी विशेष संख्या में गवाहों पर जोर दिया जाए, तो न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसा प्रायः होता है कि कोई अपराध केवल एक ही गवाह की उपस्थिति में घटित होता है, उन मामलों को छोड़कर जहाँ दोष का निर्धारण पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, जो असामान्य नहीं है। यदि विधायिका गवाहों की बहुलता पर जोर देती, तो वे मामले जहाँ अपराध के प्रमाण हेतु केवल एक ही गवाह उपलब्ध हो, दण्डित नहीं हो पाते। यहीं पर अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश का विवेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **अतः यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों तथा उस एकल गवाह की गवाही की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, जिसकी गवाही को या तो स्वीकार किया जाना है या अस्वीकार। यदि ऐसी गवाही न्यायालय को पूर्णतः विश्वसनीय प्रतीत होती है, तो उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। जिस प्रकार किसी अभियुक्त का दोष एकल गवाह की गवाही से सिद्ध किया जा सकता है, उसी प्रकार उसकी निर्दोषता भी एकल गवाह की गवाही से स्थापित की जा सकती है, भले ही अभियोजन के समर्थन में अनेक गवाह**

उपस्थित हों। अतः हमारे मत में यह एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित विधिक सिद्धांत है कि न्यायालय का ध्यान साक्ष्य की गुणवत्ता पर होता है, न कि उसकी मात्रा पर, जो किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने के लिए आवश्यक है। सामान्यतः, इस संदर्भ में मौखिक साक्ष्य को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

(1) पूर्णतः विश्वसनीय।

(2) पूर्णतः अविश्वसनीय।

(3) न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय।

12. प्रथम श्रेणी के प्रमाण में, न्यायालय को किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए—यदि एकल गवाह की गवाही संदेह, पक्षपात, अयोग्यता या प्रेरित होने के किसी भी आरोप से परे पाई जाती है, तो उसके आधार पर न्यायालय दोषसिद्धि भी कर सकता है या अभियुक्त को बरी भी कर सकता है। द्वितीय श्रेणी में भी न्यायालय को निष्कर्ष तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती। **तीसरी श्रेणी के मामलों में न्यायालय को सावधानी बरतनी होती है और विश्वसनीय प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुष्टिकरण की आवश्यकता होती है। गवाहों की बहुलता पर जोर देने में एक अन्य खतरा भी है। एकल गवाह के मौखिक साक्ष्य की गुणवत्ता की परवाह किए बिना, यदि न्यायालय किसी तथ्य के प्रमाण हेतु गवाहों की बहुलता पर जोर देंगे, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और होती भी हैं, जहाँ किसी विवादित तथ्य के समर्थन में केवल एक ही व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध होता है। ऐसे में न्यायालय को स्वाभाविक रूप से उस गवाही का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि साक्ष्य विश्वसनीय है तथा उसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं है जो मौखिक साक्ष्य को संदेहास्पद बनाती हो, तो उसका कर्तव्य है कि वह उस साक्ष्य पर कार्य करे। विधि प्रतिवेदनों में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जहाँ न्यायालय ने अभियोजन के समर्थन में एकल गवाह की गवाही पर निर्भर होकर निर्णय दिया है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि**

> **यौन अपराधों के मामले या स्वीकृत गवाह की गवाही; इन दोनों ही स्थितियों में मौखिक साक्ष्य स्वभावतः संदेहास्पद होता है, क्योंकि वह अपराध में सहभागी व्यक्ति का होता है। परंतु जहाँ ऐसे कोई विशेष कारण नहीं हैं, वहाँ यदि न्यायालय यह संतुष्ट हो जाए कि एकल गवाह की गवाही पूर्णतः विश्वसनीय है, तो अभियुक्त को दोषसिद्ध करना उसका कर्तव्य बन जाता है।** अतः हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम प्रथम गवाह की गवाही पर कार्य करने से इनकार करें, जो कि अभियोजन के समर्थन में एकमात्र विश्वसनीय साक्ष्य है।"
>
> (जोर दिया गया)

48. अतः न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उसे अस्वीकार भी किया जा सकता है। न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य पर अपना मस्तिष्क लागू करते हुए न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए।

विचार-विमर्श

49. सर्वप्रथम, हम अपने समक्ष उपलब्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य पर विचार करेंगे, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी गवाह पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 की गवाहियाँ सम्मिलित हैं।

i. प्रत्यक्षदर्शी गवाह पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 की गवाहियाँ

50. पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 वे दो गवाह हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि वे घटना स्थल पर उपस्थित थे। हमने उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। जितना अधिक हम इन गवाहों की गवाही का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं, उतना ही कम हम उन पर भरोसा कर पाते हैं। इसका कारण उनका अस्वाभाविक आचरण तथा उनकी गवाहियों के बीच पाए गए महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। पीडब्लू-15, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक होने के साथ-साथ घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी था, ने इस घटना की सूचना पुलिस को देने हेतु कोई भी कदम नहीं उठाया। बल्कि आश्चर्यजनक रूप से, उसने मृतक द्वारा चलाए जा रहे स्कूटर को अपने घर ले जाकर अपने किरायेदार श्री नवीन को सौंप दिया, जिसे अभियोजन द्वारा, यद्यपि सूचीबद्ध गवाह था, फिर भी परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। मृतक के स्कूटर से बरामद लैपटॉप और विज़िटिंग कार्ड देखने के पश्चात, पीडब्लू-15 ने इंटेल के सुरक्षा अधिकारी राधाकृष्णन को फोन किया, जो आए और लैपटॉप तथा स्कूटर ले गए। उन्हें भी, यद्यपि सूचीबद्ध गवाह थे, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पूरे समय में न तो पीडब्लू-15 ने पुलिस को सूचित किया और न ही अपने किरायेदार से ऐसा करने को कहा। इसके विपरीत, उसे

04.12.2003 को प्रातः लगभग 8:30 से 9:00 बजे के बीच, मृतक की मृत्यु के तुरंत बाद, पीडब्लू-31 द्वारा संपर्क किया गया, जिसने उसे जब भी बुलाया जाए, अपना बयान देने को कहा। तथापि, पीडब्लू-15 यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहा कि पीडब्लू-31 को उसका आवासीय नंबर या यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। यह और भी आश्चर्यजनक है कि प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) स्वयं केवल 10:30 बजे दर्ज की गई थी, जो मृतक के भाई पीडब्लू-5 द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर थी, जिससे यह प्रश्न उठता है कि एफ.आई.आर. के पंजीकरण से पहले ही पीडब्लू-31 को पीडब्लू-15 की उपस्थिति के बारे में कैसे जानकारी हो गई। उसका बयान 05.12.2003 को दर्ज किया गया, जबकि उससे 04.12.2003 को ही पुलिस द्वारा संपर्क किया जा चुका था। उपर्युक्त चर्चा के आधार पर इतना कहना पर्याप्त है कि पीडब्लू-15 के साक्ष्य को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है।

51. पीडब्लू-16 एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जिसका बयान पुलिस द्वारा 21.02.2004 तक, अर्थात् दो माह से अधिक समय तक, दर्ज नहीं किया गया। यह असामान्य है, क्योंकि पीडब्लू-15 ने उसे 04.12.2003 को ही पुलिस से प्राप्त कॉल तथा 05.12.2003 को उसके बयान के दर्ज किए जाने के बारे में सूचित कर दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के पश्चात कुछ दिनों तक वह न केवल पीडब्लू-15 से नियमित रूप से मिल रहा था, बल्कि उक्त अवधि में नियमित रूप से कार्यालय भी जा रहा था, जिससे यह स्पष्ट है कि वह पूर्णतः उपलब्ध था, फिर भी उसने पूर्व में पुलिस को अपना बयान नहीं दिया। उसके द्वारा अपने बयान देने में हुई देरी के लिए दिए गए तथाकथित कारण भी परस्पर विरोधाभासी हैं। पहले वह कहता है कि यह देरी उसके कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण उत्पन्न तनाव के कारण हुई। तत्पश्चात वह कहता है कि उसके पास समय का अभाव था। उक्त कारण स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि पुलिस को उसके उपस्थित होने की जानकारी बहुत पहले से थी। उसके अस्वाभाविक आचरण के अतिरिक्त, ए-1 और ए-2 की पहचान के संबंध में पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 के साक्ष्य में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। हम यह भी पाते हैं कि पीडब्लू-15 के साक्ष्य में पीडब्लू-16 की उपस्थिति के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है।

52. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह देखा जा सकता है कि अनेक सूचीबद्ध गवाहों, जिनमें वह कार के यात्री भी शामिल हैं जिसमें मृतक को अस्पताल ले जाया गया था, पीडब्लू-15 का किरायेदार तथा इंटेल का सुरक्षा अधिकारी, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 की उपस्थिति के संबंध में साक्ष्य दे सकते थे, को अभियोजन द्वारा, अपने ही कारणों से, परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

53. यद्यपि पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 के साक्ष्य में हमें अनेक अन्य गंभीर विरोधाभास भी प्राप्त होते हैं, तथापि हम उस पर और अधिक विचार करना आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि हमें पूर्ण

स्पष्टता है कि घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति अत्यंत संदिग्ध है और अतः उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

54. चूँकि हमने घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण को अस्वीकार कर दिया है, अब यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अतः हमें शेष उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस सी सी 116** में प्रतिपादित पाँच स्वर्णिम सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करना होगा–

> (1) **"वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए, न कि केवल 'हो सकती हैं' के आधार पर,**
>
> (2) **इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष के सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् वे किसी अन्य परिकल्पना से समझाए नहीं जा सकते, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,**
>
> (3) **परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृति की होनी चाहिए,**
>
> (4) **वे प्रत्येक अन्य संभावित परिकल्पना को, उस परिकल्पना को छोड़कर जिसे सिद्ध किया जाना है, समाप्त कर दें; तथा**
>
> (5) **साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत आधार को शेष न छोड़े और यह प्रदर्शित करे कि समस्त मानवीय संभाव्यता में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"**
>
> (जोर दिया गया)

ii. उद्देश्य

55. जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तब यह अत्यावश्यक हो जाता है कि अपराध करने के लिए अभियुक्त का उद्देश्य (मोटिव) स्थापित किया जाए। इसका कारण यह है कि यही वह आधार है, जिस पर साक्ष्यों की श्रृंखला निर्मित होती है और अंततः अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित होती है।

मुनीश मुबार बनाम हरियाणा राज्य, (2012) 10 एससीसी 464

> **"30. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाता है, क्योंकि उद्देश्य के अभाव में न्यायालय सतर्क हो जाता है और प्रत्येक साक्ष्य का अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण करता है, ताकि संदेह, भावना या अनुमान**

> **<u>प्रमाण का स्थान न ले लें। तथापि, वह साक्ष्य जो उस उद्देश्य के अस्तित्व को दर्शाता है, जो किसी अपराधी के मन में कार्य करता है, प्रायः अन्य व्यक्तियों की पहुँच में नहीं होता। ऐसा उद्देश्य अपराध के पीड़ित को भी ज्ञात नहीं हो सकता। उद्देश्य केवल अपराधी को ही ज्ञात हो सकता है और संभव है कि किसी अन्य को यह ज्ञात न हो कि उसके मन में ऐसी दुष्ट भावना का उद्भव किस कारण हुआ। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, अभियुक्त के दोष को इंगित करने वाला साक्ष्य अविश्वसनीय और संदिग्ध हो सकता है, क्योंकि अधिकांशतः केवल अपराध करने वाला व्यक्ति ही उन परिस्थितियों का ज्ञान रखता है, जिन्होंने उसे ऐसा आचरण अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप अपराध का निष्पादन हुआ। अतः यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य किसी अपराध को करने के लिए पर्याप्त/आवश्यक उद्देश्य का संकेत देते हैं, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त ने ही वह अपराध किया है।"</u>**

(जोर दिया गया)

56. उद्देश्य से संबंधित उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, पीडब्लू-8, पीडब्लू-11 और पीडब्लू-23 वे गवाह हैं जिन पर अभियोजन ने इसे सिद्ध करने हेतु निर्भर किया है।

57. हम सर्वप्रथम पीडब्लू-8 के साक्ष्य का परीक्षण करेंगे। प्रथम, हमें उसका साक्ष्य संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि वह मृतक के पिता पीडब्लू-6 को पूर्व से जानती थी, जिन्होंने कहा कि वे उसे 4-5 वर्षों से जानते थे क्योंकि वे पार्क में टहलते समय एक-दूसरे को देखते थे। द्वितीय, वह न केवल यह कहती है कि उसने 30.11.2003 को ए-4 के सगाई समारोह में भाग लिया, बल्कि यह भी कहती है कि वह प्रथम पंक्ति में बैठी थी और उस अवसर के फोटो एवं वीडियो भी लिए गए थे। तथापि, अभियोजन ने उन फोटो या वीडियो को प्रस्तुत करके समारोह में उसकी उपस्थिति सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया। अन्य किसी गवाह ने भी उसकी उपस्थिति के संबंध में साक्ष्य नहीं दिया। अतः सगाई समारोह में उसकी उपस्थिति ही अत्यंत संदिग्ध प्रतीत होती है। तृतीय, उसके बयान के अभिलेखन में अत्यधिक विलंब हुआ, क्योंकि पुलिस द्वारा उसका बयान केवल 14.01.2004 को दर्ज किया गया। चतुर्थ, उसके स्वयं के कथनों में विरोधाभास होने के अतिरिक्त, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-31 की गवाहियों के साथ भी इस बात को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं कि उसका बयान कहाँ और किस प्रकार दर्ज किया गया। पीडब्लू-8 कहती है कि उसका बयान जनवरी 2004 में उसके घर पर दर्ज किया गया। किंतु पीडब्लू-6 ने कहा कि उसका बयान पीडब्लू-31 और एसीपी पेम्मैय्या द्वारा दिसंबर 2003 में तब दर्ज किया गया जब वह उनके घर गई थी। इसके पश्चात वह कहती है कि उसने मृतक

की हत्या के संबंध में सूचना उसी दिन पीडब्लू-6 को दी थी जब वह दिसंबर 2003 में उनके घर गई थी। किंतु तत्पश्चात वह स्वयं का खंडन करते हुए कहती है कि उसने उक्त सूचना अपने घर के सदस्यों के अतिरिक्त किसी को नहीं दी थी, जब तक कि 14.01.2004 को पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया। वह आगे कहती है कि जब वह पीडब्लू-6 के घर पहुँची, तब पुलिस पहले से ही वहाँ मौजूद थी; किंतु उसके प्रयास करने के बावजूद उन्होंने उसी समय उसका बयान दर्ज नहीं किया और लगभग एक माह बाद दर्ज किया, जो कि असामान्य प्रतीत होता है। यह पीडब्लू-6 के कथन से विरोधाभासी है, जिन्होंने कहा कि जब पीडब्लू-8 मृतक की हत्या के संबंध में कुछ सूचना देने उनके घर आई, तब उन्होंने पीडब्लू-31 को टेलीफोन पर सूचित किया और पुलिस पीडब्लू-8 के आने के पश्चात ही उनके घर पहुँची। पीडब्लू-31 ने भी उसके कथन का खंडन करते हुए कहा कि उसी दिन बयान दर्ज करने से पीडब्लू-8 ने ही इनकार किया था, न कि पुलिस ने। यद्यपि पीडब्लू-9, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12, जो कि पक्षपाती गवाह हैं, के साक्ष्य के साथ उसके विरोधाभास के लिए कुछ स्पष्टीकरण हो सकता है, तथापि यह तथ्य बना रहता है कि उसका साक्ष्य पीडब्लू-31 और पीडब्लू-6 के साक्ष्य से भी विरोधाभासी है। हमें धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज उसके बयान और न्यायालय के समक्ष दिए गए उसके कथन के बीच भी और विरोधाभास प्राप्त होते हैं। हम पाते हैं कि पीडब्लू-8 का आचरण भी अस्वाभाविक है, जैसा कि हमने पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 के आचरण के संबंध में भी अवलोकन किया है।

58. पीडब्लू-11 के संबंध में, हम पाते हैं कि उसका साक्ष्य भी अविश्वसनीय है, क्योंकि अन्य गवाहों के साक्ष्य के साथ महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई जाती हैं। प्रथम, वह न्यायालय के समक्ष पहली बार यह कहती है कि ए-4 के घर की नौकरानी कमला ने उसे ए-4 की मृतक के साथ सगाई के बारे में सूचना दी थी। तथापि, उक्त कमला को न तो गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया गया और न ही अभियोजन द्वारा इस सिद्धांत को स्थापित करने हेतु उसका परीक्षण किया गया। यद्यपि वह यह कहती है कि उसने सगाई समारोह में भाग नहीं लिया, किंतु पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 के साक्ष्य इसके विपरीत संकेत देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह पीडब्लू-6 की अतिथि के रूप में सगाई समारोह में उपस्थित थी। वह मृतक की बहन सुनीता के साथ विचारण न्यायालय भी गई थी, जिससे प्रतिरक्षा के इस कथन को बल मिलता है कि उसने मृतक के परिवार की ओर से समारोह में भाग लिया था। वह यह भी कहती है कि घटना को टेलीविजन पर देखने के तुरंत बाद सुनीता और पीडब्लू-6 उसके घर आए और उससे जो कुछ वह जानती थी, उसे बताने को कहा। वह आगे कहती है कि पुलिस को सूचना भी उन्हीं के द्वारा दी गई थी, और उसके आश्चर्य के लिए, पुलिस चार या पाँच दिन बाद उसके घर आई, जिससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया कुछ असामान्य थी। उसका

बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत भी अत्यधिक विलंब से दर्ज किया गया, क्योंकि यह केवल फरवरी 2004 में दर्ज किया गया। अतः उपर्युक्त गवाहों के आचरण के संबंध में जो टिप्पणियाँ हमने की हैं, वे पीडब्लू-11 पर भी समान रूप से लागू होती हैं।

59. अब हमारे समक्ष पीडब्लू-23, प्रमोद दीक्षित का साक्ष्य शेष रहता है, जो ए-4 के साथ प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ए-4 ने उससे स्वीकार किया था कि वह मृतक से विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि दोनों परस्पर अनुकूल नहीं हैं। जहाँ मृतक का जीवन-शैली रूढ़िवादी थी, वहीं वह विलासितापूर्ण जीवन चाहती थी, जैसे महंगे होटलों और रेस्तरां में जाना। उसने यह भी बताया कि वह इतनी कम आयु में विवाह नहीं करना चाहती थी। हम इस साक्ष्य पर अधिक भरोसा करने के इच्छुक हैं, क्योंकि यह हमें स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि उपर्युक्त अन्य गवाहों के विपरीत, अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि पीडब्लू-23 का मृतक के परिवार से कोई पूर्व संबंध था, और पीडब्लू-8 तथा पीडब्लू-11 के विपरीत, जो ए-4 को उतना निकट से नहीं जानते थे, यह विवादित नहीं है कि पीडब्लू-23 ए-4 के निकट था और वह न केवल ए-4 बल्कि उसके पिता पीडब्लू-10 के भी संपर्क में था। ए-4 ने भी इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया है। अतः पीडब्लू-23 के पास अपनी मित्र ए-4 के विरुद्ध गवाही देने का कोई कारण नहीं था। द्वितीय, पीडब्लू-23 का साक्ष्य, जिसमें उसकी गवाही तथा उसके द्वारा 18.04.2004 को पीडब्लू-10 को भेजा गया ई-मेल (प्रदर्श डी-51) सम्मिलित है, यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ए-1 और ए-4 एक-दूसरे के निकट थे। यद्यपि उनके संबंध की सीमा ज्ञात नहीं है, तथापि ए-1 और ए-4 के बीच संबंध की निकटता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, और यह भी कि वे निरंतर संपर्क में थे। यह कहना एक बात है कि साक्ष्य इतना पर्याप्त नहीं है कि यह सिद्ध किया जा सके कि वे संबंध में थे, परंतु यह पर्याप्त है यह दर्शाने के लिए कि ए-4 मृतक से विवाह के प्रति अनिच्छुक थी और ए-1 उसका निकट विश्वासपात्र था। पीडब्लू-23 ने अपने ई-मेल में, जो उसने ए-4 के पिता को भेजा, यह भी उल्लेख किया कि उसकी ए-1 के प्रति अच्छी राय नहीं थी, किंतु वह ए-4 को उसके चरित्र के विषय में बताने में हिचकिचा रहा था, इस आशंका से कि वह उसे ईर्ष्या के कारण झूठे आरोप लगाने वाला समझ सकती है। अतः हम पीडब्लू-23 के साक्ष्य पर यह प्रदर्शित करने के लिए भरोसा करने के इच्छुक हैं कि न केवल ए-4 मृतक से विवाह नहीं करना चाहती थी, बल्कि ए-1 और ए-4 के बीच घनिष्ठ संबंध भी था। इस संदर्भ में, हम पीडब्लू-10 द्वारा अपनी गवाही में किए गए उस स्वीकारोक्ति का भी उल्लेख करना चाहते हैं कि ए-1, ए-4 के साथ मूट कोर्ट की तैयारी करने हेतु उसके घर आया करता था, जिससे यह स्थापित होता है कि ए-1 और ए-4 एक-दूसरे के निकट थे।

iii. <u>कॉल डिटेल रिकॉर्ड</u>

60. अपराध करने के उद्देश्य (मोटिव) के सिद्ध हो जाने के उपरांत, अब हम अभिलेख पर उपलब्ध सी.डी.आर. पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो घटना से पूर्व, घटना के दिन तथा घटना के पश्चात अभियुक्त व्यक्तियों के बीच हुए व्यापक संचार को दर्शाते हैं। हम इस पहलू का गहन विश्लेषण करना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही को अस्वीकार करने के पश्चात अब यह मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

61. परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टोमी सेबेस्टियन द्वारा प्रस्तुत सूक्ष्म तर्कों के अतिरिक्त, हमारे कार्यालय द्वारा भी अभिलेख पर पूर्व में प्रस्तुत एवं संज्ञान में लिए गए सी.डी.आर. के परस्पर संबंध के संबंध में पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2003 के अभिलेखों को संकलित कर यह प्रयास किया गया है कि अभियुक्तों के मध्य रची गई साजिश का पता लगाया जा सके।

62. अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से हमें यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन ने यह विधिवत सिद्ध कर दिया है कि ए-1 मोबाइल फोन संख्या 9845017289 का धारक एवं उपयोगकर्ता था, ए-2 मोबाइल फोन संख्या 08036940211 का धारक एवं उपयोगकर्ता था, ए-3 मोबाइल फोन संख्या 08036860795 का धारक एवं उपयोगकर्ता था, तथा ए-4 मोबाइल फोन संख्या 9845570337 की धारक एवं उपयोगकर्ता थी। ए-1 तथा ए-4 द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल फोन का दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.) एयरटेल था, जबकि ए-2 तथा ए-3 द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल फोन का टी.एस.पी. रिलायंस था।

63. सी.डी.आर. के माध्यम से उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने से पूर्व, यह अत्यावश्यक है कि उक्त साक्ष्य की ग्राह्यता भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए) की धारा 65-बी के अनुसार विधिवत सिद्ध की जाए, क्योंकि इन सी.डी.आर. से संबंधित सूचनाएँ विशाल सर्वरों में संग्रहीत होती हैं, जिन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और अतः इन्हें प्रिंटआउट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं।

अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंत्याल एवं अन्य, (2020) 7 एस सी सी 1

> "**32.** पुनः साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी पर लौटते हुए, उपधारा (1) का विश्लेषण आवश्यक है। यह उपधारा एक नॉन ऑब्सटैन्टे उपवाक्य से प्रारंभ होती है, और इसके पश्चात कंप्यूटर द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित

सूचना का उल्लेख करती है, जिसे एक विधिक कल्पना के माध्यम से "स्तावेज" माना जाता है। यह विधिक कल्पना तभी प्रभावी होती है जब धारा में उल्लिखित आगे की शर्तें, संबंधित सूचना तथा संबंधित कंप्यूटर दोनों के संबंध में पूर्ण की जाती हैं; और यदि ऐसी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो उक्त 'दस्तावेज' किसी भी कार्यवाही में ग्राह्य होगा। "...*बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण या मूल के प्रस्तुतिकरण के...*" ये शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि एक बार जब उक्त शर्तों की पूर्ति द्वारा यह विधिक कल्पना प्रभावी हो जाती है, तो यह 'कल्पित दस्तावेज' साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाता है, *बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण या मूल दस्तावेज* के प्रस्तुतिकरण के, और यह मूल दस्तावेज की सामग्री अथवा उसमें उल्लिखित किसी तथ्य के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होता है, जिनके लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य अन्यथा ग्राह्य होता।"

"33. उपधारा (1) में प्रयुक्त 'नॉन ऑब्सटैन्टे' उपवाक्य यह स्पष्ट करता है कि जब बात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित सूचना की आती है, तो उसकी ग्राह्यता तथा प्रमाणन धारा 65-बी की प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए, जो इस संबंध में एक विशेष प्रावधान है – और इस उद्देश्य के लिए धारा 62 से 65 अप्रासंगिक हो जाती हैं। तथापि, धारा 65-बी(1) 'मूल' दस्तावेज – अर्थात् वह मूल 'इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख' जो उस 'कंप्यूटर' में निहित है जिसमें मूल सूचना प्रथम बार संग्रहीत की गई थी – और उस कंप्यूटर आउटपुट के बीच स्पष्ट अंतर करती है जिसमें ऐसी सूचना निहित होती है, जिसे तत्पश्चात 'मूल' दस्तावेज की सामग्री के साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। यह सब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि धारा 65-बी 'कंप्यूटर' में निहित मूल सूचना तथा उससे बनाई गई प्रतियों के बीच अंतर करती है – जहाँ पहली प्राथमिक साक्ष्य है, और दूसरी द्वितीयक साक्ष्य है।

34. यह स्पष्ट है कि उपधारा (4) के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती यदि मूल दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत किया जाए। यह उस स्थिति में संभव है जब लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहाँ तक कि मोबाइल फोन का स्वामी साक्षी के रूप में उपस्थित होकर यह सिद्ध करे कि संबंधित यंत्र, जिसमें मूल सूचना प्रथम बार संग्रहीत की गई थी, उसका स्वामित्व और/या संचालन उसके द्वारा किया जाता है। उन मामलों में, जहाँ 'कंप्यूटर' (जैसा कि परिभाषित है) किसी 'कंप्यूटर प्रणाली' या 'कंप्यूटर नेटवर्क' (जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी

अधिनियम, 2000 में परिभाषित है) का हिस्सा होता है और ऐसे नेटवर्क या प्रणाली को भौतिक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करना असंभव हो जाता है, तब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित सूचना को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका धारा 65-बी(1) के अनुसार, धारा 65-बी(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ ही संभव है। इस स्थिति में, *अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर,* (2014) 10 एससीसी 473 : (2015) 1 एससीसी (सिविल) 27 : (2015) 1 एससीसी (क्रि.) 24 : (2015) 1 एससीसी (एल एंड एस) 108 के पैरा 24 के अंतिम वाक्य में निहित कथन को स्पष्ट करना आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि "...यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रयोग धारा 62 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है···।" इसे अधिक उपयुक्त रूप से इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि 'साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत' शब्दों को हटाकर पढ़ा जाए। इस छोटे से स्पष्टीकरण के साथ, *अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर,* (2014) 10 एससीसी 473 : (2015) 1 एससीसी (सिविल) 27 : (2015) 1 एससीसी (क्रि.) 24 : (2015) 1 एससीसी (एल एंड एस) 108 के पैरा 24 में प्रतिपादित विधि को पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

***

60. **<u>यह भी देखा जा सकता है कि यह प्रमाणपत्र देने वाला व्यक्ति उन कई व्यक्तियों में से कोई भी हो सकता है जो संबंधित उपकरण के संचालन के संबंध में 'उत्तरदायी आधिकारिक पद' धारण करते हों, अथवा वह व्यक्ति जो अन्यथा धारा 65-बी की उपधारा (4) में वर्णित 'संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन' से जुड़ा हो। यह देखते हुए कि ऐसा प्रमाणपत्र उस समय के काफी बाद भी दिया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वास्तव में कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया जा चुका हो, धारा 65-बी(4) यह स्पष्ट करती है कि यह पर्याप्त है कि ऐसा व्यक्ति आवश्यक प्रमाणपत्र 'अपने ज्ञान या विश्वास के सर्वोत्तम अनुसार' दे।</u>** [स्पष्टतः, धारा 65-बी(4) में ज्ञान और विश्वास के बीच प्रयुक्त शब्द "और" को "या" पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही समय में अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार गवाही नहीं दे सकता।]

61. **<u>अतः हम पुनः यह दोहराते हैं कि धारा 65-बी(4) के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाणपत्र, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से साक्ष्य की ग्राहयता के लिए एक पूर्वशर्त है, जैसा कि *अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर,*</u>** (2014) 10 एससीसी

473 : (2015) 1 एससीसी (सिविल) 27 : (2015) 1 एससीसी (क्रि.) 24 : (2015) 1 एससीसी (एल एंड एस) 108 में सही रूप से प्रतिपादित किया गया है, तथा *शफी मोहम्मद बनाम एच.पी. राज्य,* (2018) 2 एस.सी.सी. 801 : (2018) 2 एस.सी.सी. 807 : (2018) 2 एस.सी.सी. (सिविल) 346 : (2018) 2 एस.सी.सी. (सिविल) 351 : (2018) 1 एस.सी.सी. (क्री) 860 : (2018) 1 एस.सी.सी. (क्री) 865 में जिसका गलत "स्पष्टीकरण" किया गया। ऐसे प्रमाणपत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि धारा 65-बी(4) विधि की एक अनिवार्य आवश्यकता है। वास्तव में, *टेलर बनाम टेलर,* (1875) एल.आर. 1 सीएच डी 426 में प्रतिपादित सिद्धांत, जिसे इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में अनुसरण किया गया है, यहाँ भी लागू होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी(4) स्पष्ट रूप से कहती है कि द्वितीयक साक्ष्य तभी ग्राह्य होगा जब उसे निर्धारित विधि के अनुसार प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा नहीं। इसके विपरीत मानना धारा 65-बी(4) को निरर्थक बना देगा।

82. परंतु धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित सूचना की ग्राह्यता को कुछ शर्तों के अधीन बनाती है, जिनमें प्रमाणन भी सम्मिलित है। **यह प्रमाणन इस उद्देश्य के लिए होता है कि यह सिद्ध किया जा सके कि कंप्यूटर आउटपुट के रूप में जो सूचना प्रस्तुत की गई है, वह ऐसे कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न की गई थी, जिसका उपयोग नियमित रूप से सूचना को संग्रहीत या संसाधित करने के लिए किया जाता था, तथा वह सूचना सामान्य कार्यप्रणाली के अंतर्गत नियमित रूप से उस कंप्यूटर में प्रविष्ट की जाती थी।"**

(ज़ोर दिया गया)

64. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रावधान का अनुपालन अनिवार्य है। तथापि, विशेष रूप से सी.डी.आर. के संदर्भ में, इस प्रकार के विधिवत अनुपालन के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है। यह संबंधित न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे अनुपालन के विषय में स्वयं संतुष्ट हो, जिसके लिए उसे धारा 65-बी(4) के अंतर्गत प्रस्तुत आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ-साथ दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.) की ओर से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का भी सम्यक् संज्ञान लेना होगा। यह समझना आवश्यक है कि अन्य अभियोजन गवाहों के विपरीत, ऐसा व्यक्ति जो इन प्रमाणपत्रों के समर्थन में साक्ष्य देता है, उसका प्रकरण में कोई अन्य हित नहीं होता, अतः उसे न्यायालय का गवाह माना जाना चाहिए, जिसका किसी के प्रति कोई पक्षपात या द्वेष नहीं होता। वह टी.एस.पी. की ओर से साक्ष्य देता है और केवल

जारी किए गए प्रमाणपत्र के संबंध में ही केंद्रित रहता है। अतः, उसकी गवाही में किसी मूलभूत त्रुटि के अभाव में, तथा टी.एस.पी. की ओर से साक्ष्य देने की उसकी क्षमता सिद्ध होने पर, न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह उसका यथोचित संज्ञान ले।

65. वर्तमान मामले में, सी.डी.आर. की ग्राह्यता से संबंधित साक्ष्य का परीक्षण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हम वर्ष 2003 में घटित एक अपराध से संबंधित हैं, जब प्रौद्योगिकी तथा उससे संबंधित विधिक प्रावधान अभी प्रारंभिक अवस्था में थे। दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से हम पाते हैं कि दोनों टी.एस.पी. ने धारा 65-बी(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें प्रदर्श पी-50 तथा प्रदर्श पी-83 के रूप में चिह्नित किया गया है, और हम उनके अंतर्गत किए गए अनुपालन से पूर्णतः संतुष्ट हैं। केवल इस आधार पर कि प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं दिया गया है, उसे अवैध नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब इन चिह्नित दस्तावेजों की प्रामाणिकता विवादित नहीं है। रिलायंस तथा एयरटेल की ओर से सक्षम अधिकारियों ने भी उक्त प्रमाणपत्रों के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य दिया है, क्रमशः पीडब्लू-24 और पीडब्लू-25 के रूप में। पीडब्लू-24, रिलायंस, बेंगलुरु में हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स तथा वैधानिक विधिक प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वयक के पद पर कार्यरत थे। पीडब्लू-25, एयरटेल, बेंगलुरु में नोडल अधिकारी के रूप में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। इस प्रकार, दोनों गवाह संबंधित कंपनियों में धारा 65-बी(4) के अंतर्गत अपेक्षित 'उत्तरदायी आधिकारिक पद' पर आसीन थे। यह आवश्यक नहीं है कि उक्त अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञता वाले पदों पर ही कार्यरत हों; यह पर्याप्त है कि वे 'अपने ज्ञान या विश्वास के सर्वोत्तम अनुसार' साक्ष्य दें। अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क कि श्री रमणी ही रिलायंस की ओर से साक्ष्य देने के एकमात्र सक्षम अधिकारी थे, निराधार है, क्योंकि पीडब्लू-24 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि श्री रमणी संगठन छोड़ चुके थे, और इस प्रकार पीडब्लू-24, पद के उत्तराधिकारी होने के कारण सक्षम अधिकारी बन गए। यह विवादित नहीं है कि पीडब्लू-24 और पीडब्लू-25 संबंधित टी.एस.पी. के प्रतिनिधि हैं। प्रमाणपत्रों तथा सी.डी.आर. के संबंध में उनकी गवाही, व्यापक जिरह के बावजूद, पूर्णतः स्पष्ट और निर्विवाद बनी हुई है, और मात्र कुछ विसंगतियाँ होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विधिवत अनुपालन नहीं हुआ। रिलायंस द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र के संबंध में अपीलकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि वह धारा 65-बी(4) के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसमें यह उल्लेख नहीं है कि मुख्य सर्वर बॉम्बे में स्थित था, जहाँ से डेटा निकाला गया और ई-मेल के माध्यम से बेंगलुरु स्थित कार्यालय को भेजा गया। यह तर्क अधिक महत्व नहीं रखता, क्योंकि डेटा का निष्कर्षण एवं हस्तांतरण टी.एस.पी. के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। सी.डी.आर. के कुछ भागों में कथित विसंगतियाँ, जैसा कि

अपीलकर्ताओं द्वारा इंगित किया गया है, संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकतीं। इसके अतिरिक्त, यह किसी का भी मामला नहीं है कि सी.डी.आर. में प्रविष्टियाँ तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, और न ही इन प्रविष्टियों के लेखक के संबंध में कोई विवाद है। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए, तब उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए अनेक कॉल/एसएमएस के प्रबल साक्ष्य के संबंध में उन्होंने कोई विशिष्ट अस्वीकृति या स्पष्टीकरण नहीं दिया। अतः, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रवृत्त हैं कि इस मामले के तथ्यों के आधार पर, रिलायंस और एयरटेल दोनों द्वारा प्रस्तुत सी.डी.आर., भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी(4) के अनुरूप ग्राह्य हैं।

66. चूँकि हम सी.डी.आर. की ग्राह्यता स्थापित कर चुके हैं, अब हम अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत सी.डी.आर. के विशाल आंकड़ों के मूल्यांकन की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जो प्रासंगिक अवधि के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के बीच असामान्य रूप से अधिक संख्या में हुए संचार को दर्शाते हैं। इसके सूक्ष्म विश्लेषण पर हमें परिणाम अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। सुविधा की दृष्टि से, हम **परिशिष्ट 'ए'** में संलग्न संचार को उस समयावधि के आधार पर वर्गीकृत करना चाहते हैं, जिसमें वे किए गए थे, अर्थात्: अक्टूबर 2003 **(तालिका 1)**, 01.11.2003 से 15.11.2003 **(तालिका 2)** तथा 16.11.2003 से 24.11.2003 **(तालिका 3)**। तथापि, 25.11.2003 से 06.12.2003 **(तालिका 4 से तालिका 14)** की अवधि के लिए, हम इसका दिन-प्रतिदिन के आधार पर विश्लेषण करना चाहते हैं, क्योंकि अभियोजन उक्त अवधि से संबंधित सी.डी.आर. पर विशेष रूप से निर्भर करते हुए अभियुक्तों के बीच साजिश सिद्ध करना चाहता है। अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए, हम सी.डी.आर. पर चर्चा करते समय व्यक्तियों के फोन नंबरों को दोहराना नहीं चाहते और इसके स्थान पर उन्हें उनके नाम से ही संदर्भित करेंगे।

67. अक्टूबर 2003 माह से संबंधित सी.डी.आर., जो तालिका 1 में दर्शाए गए हैं, ए-4 द्वारा ए-1 को किए गए कॉलों की संख्या तथा ए-3 द्वारा ए-1 को किए गए कॉलों को प्रदर्शित करते हैं। हम ए-4 द्वारा मृतक को किए गए संचार का भी संज्ञान लेते हैं। उभरता हुआ पैटर्न यह है कि अधिकांश समय ए-4 ही ए-1 को कॉल कर रही थी। इसी प्रकार, ए-4 ने मृतक को भी कॉल किए। तथापि, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि ए-1 और मृतक को किए गए कॉलों के समय में अंतर है। ऐसा करने पर हम पाते हैं कि ए-4 ने मृतक को अधिकांश कॉल केवल दिन के समय किए, जबकि ए-1 को किए गए कॉल दिन के समय के साथ-साथ रात के विषम समयों में भी किए गए।

68. 01.11.2003 से 15.11.2003 के बीच, जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है, ए-1 और ए-4 के बीच हुए संचार की आवृत्ति कई गुना बढ़ गई, जबकि ए-4 और मृतक के बीच संचार में उल्लेखनीय कमी आई। उक्त अवधि के दौरान ए-1 और ए-4 के बीच कुल 92 संचार हुए, जबकि मृतक के साथ केवल 44 संचार हुए। यहाँ भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए-1 और ए-4 के बीच कई संचार रात के विषम समयों में किए गए।

69. 16.11.2003 से 24.11.2003 के बीच, जैसा कि तालिका 3 में दर्शाया गया है, ए-1 और ए-4 के बीच संचार की आवृत्ति और भी अधिक बढ़ गई। उनके बीच कुल 98 संचार दर्ज किए गए, जबकि मृतक के साथ केवल 22 संचार हुए। हम उनके संचार की आवृत्ति में इस स्पष्ट असमानता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-10 के साक्ष्य के अनुसार, ए-4 के माता-पिता ने अक्टूबर 2003 के माह में ही मृतक के माता-पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। उक्त प्रस्ताव को 20.11.2003 को अंतिम रूप दिया गया, जब दोनों परिवारों ने सहमति प्रदान की और सगाई समारोह की तिथि 30.11.2003 निर्धारित की गई। सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती कि पूर्व-सगाई अनुष्ठानों के पश्चात मृतक और ए-4 के बीच संचार में वृद्धि होती, किंतु कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल भिन्न स्थिति दर्शाते हैं। उदाहरणार्थ, 23.11.2003 को ए-4 और ए-1 के बीच 9 संचार हुए, जबकि ए-4 ने मृतक से केवल दो बार संपर्क किया। इसी प्रकार, 24.11.2003 को ए-4 और ए-1 के बीच 16 संचार हुए, जबकि मृतक के साथ केवल 3 संचार हुए। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ए-4 अपने विवाह के प्रति इच्छुक नहीं थी और इसके स्थान पर ए-1 के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन संचारों में अधिकांशतः पहल ए-4 द्वारा ही की गई थी, न कि ए-1 द्वारा।

70. अब हम तालिका 4 में उपलब्ध 25.11.2003 के आंकड़ों पर आते हैं। यहाँ भी ए-3 ने न केवल ए-1 के साथ, बल्कि ए-4 के साथ भी वॉयस कॉल के माध्यम से संपर्क किया। ए-1, जो 23.11.2003 से ए-3 के संपर्क में था, ने उसे इस योजना में सम्मिलित किया और 25.11.2003 को ए-3 ने पहली बार सीधे ए-4 से संपर्क किया। उसी दिन, ए-3 ने ए-4 को एक के बाद एक तथा अल्प अंतराल में 9 वॉयस कॉल किए। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए-3 ने उक्त तिथि को सक्रिय रूप से साजिश में प्रवेश किया। हम इस तथ्य पर विशेष बल देना चाहते हैं, क्योंकि ए-3, ए-4 के लिए पूर्णतः अपरिचित था और उनके संपर्क में आने का कोई अवसर या कारण नहीं था।

71. 26.11.2003 को, जैसा कि तालिका 5 में उल्लिखित है, ए-4 और ए-1 के बीच 7 एसएमएस तथा 1 वॉयस कॉल के माध्यम से आगे संचार हुआ। आश्चर्यजनक रूप से, ए-4 द्वारा मृतक से केवल एक ही बार संपर्क किया गया।

72. 27.11.2003 को, जैसा कि तालिका 6 में उल्लेखित है, ए-4 ने मृतक से केवल एक बार संपर्क किया, जबकि उसने ए-1 के साथ एसएमएस के माध्यम से अपना संचार जारी रखा। ए-3 और ए-4 के बीच संचार भी जारी रहा, क्योंकि ए-3 ने ए-4 को 8 कॉल किए। हम यह देख सकते हैं कि अभियुक्त व्यक्तियों के बीच एक कॉल के तुरंत बाद दूसरी कॉल की गई।

73. 28.11.2003 को, जैसा कि तालिका 7 में दर्शाया गया है, ए-2 को छोड़कर अभियुक्त व्यक्तियों के बीच कुल 33 कॉल/एसएमएस का आदान-प्रदान हुआ। ए-1 और ए-4 के बीच कुल 19 संचार हुए, जिनमें एसएमएस और वॉयस कॉल दोनों शामिल थे, जबकि ए-4 और मृतक के बीच केवल 5 संचार हुए। यह ध्यान देने योग्य है कि ए-1 और ए-4 के बीच रात के विषम समयों में भी बातचीत हुई। ए-3 और ए-1 के बीच कुल 10 वॉयस कॉल किए गए, जिनमें से अधिकांश कॉल ए-3 द्वारा आरंभ किए गए थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि ए-3 और ए-4 के बीच हुए 4 वॉयस कॉल में से 3 कॉल ए-4 द्वारा आरंभ किए गए थे।

74. 29.11.2003 के सी.डी.आर. के विश्लेषण से, जो कि सगाई समारोह से एक दिन पूर्व का दिन था, जैसा कि तालिका 8 में उल्लेखित है, यह स्पष्ट होता है कि ए-4 और ए-1 के बीच कुल 11 संचार हुए, जिनमें 10 एसएमएस और 1 वॉयस कॉल शामिल थे। सभी संचार ए-4 द्वारा ही आरंभ किए गए थे। ए-3 और ए-4 के बीच कुल 6 वॉयस कॉल हुए। हम ए-3 और ए-1 के बीच हुए कॉलों का भी संज्ञान लेते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्तों के बीच कुछ कॉल एक के बाद एक किए गए, जिससे एक विशिष्ट पैटर्न उभरता हुआ दिखाई देता है।

75. हम 30.11.2003 के सी.डी.आर., जो तालिका 9 में दर्शाए गए हैं, पर थोड़ा और विशेष बल देना चाहते हैं, क्योंकि यही वह तिथि थी जिस दिन ए-4 और मृतक का सगाई समारोह हुआ था। 29.11.2003 तक, हम यह पाते हैं कि संचार केवल ए-1, ए-3 और ए-4 के बीच ही था। 30.11.2003 के सी.डी.आर. के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ए-2 पहली बार इस परिदृश्य में सम्मिलित होता है। इस संदर्भ में, हम पीडब्लू-14, जो ए-3 के पिता हैं, के साक्ष्य का उल्लेख करना चाहेंगे, जिन्होंने स्वीकार किया कि ए-3 और ए-2 के बीच पूर्व में मित्रता थी। अतः हम यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि ए-3 ने ही ए-2 को इस योजना में सम्मिलित किया। उक्त तिथि को ए-4 और ए-1 के बीच कुल 8 संचार हुए, जिनमें एसएमएस तथा वॉयस कॉल दोनों शामिल थे। यह ए-4 के अस्वाभाविक आचरण को दर्शाता है, क्योंकि अपने सगाई समारोह के

दिन भी वह ए-1 के साथ अत्यधिक रूप से संचार कर रही थी, जिससे पीडब्लू-23 के इस साक्ष्य को पुष्टि मिलती है कि वह मृतक से विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं थी।

76. हम ए-4 के सगाई समारोह के दौरान उसके आचरण की ओर भी विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रथम, समारोह के दौरान ली गई तस्वीरें, जिन्हें प्रदर्श पी-15 के रूप में चिह्नित किया गया है, स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि ए-4 पूरे समारोह के दौरान अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए थी। द्वितीय, पीडब्लू-10 के साक्ष्य के अनुसार, सगाई समारोह लगभग 7:00 बजे शाम को प्रारंभ हुआ था। सी.डी.आर. यह दर्शाते हैं कि सगाई समारोह के दौरान भी ए-4 ने 7:00 बजे से 9:00 बजे के बीच ए-3 द्वारा किए गए 3 कॉल प्राप्त किए। अन्य संचार के संदर्भ में, ए-3 ने ए-2 को 2 कॉल किए और यह ध्यान देने योग्य है कि ए-2 को कॉल करने के तुरंत बाद ए-3 ने ए-4 से दो बार संपर्क किया, जो यह दर्शाता है कि वे अपनी साजिश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे थे।

77. 01.12.2003 और 02.12.2003 के सी.डी.आर., क्रमशः तालिका 10 और 11 में, सभी अभियुक्त व्यक्तियों के बीच हुए संचार को दर्शाते हैं। 01.12.2003 को ए-4 और ए-1 के बीच कुल 5 संचार हुए, जिनमें 3 वॉयस कॉल और 2 एसएमएस शामिल थे, जबकि ए-4 और मृतक के बीच केवल एक संचार हुआ। ए-1 और ए-3 के बीच 3 कॉल तथा ए-3 और ए-2 के बीच 2 कॉल भी हुए, जो सभी ए-3 द्वारा आरंभ किए गए थे।

78. 02.12.2003 के सी.डी.आर. के संबंध में, हम सर्वप्रथम अन्य दिनों में कॉल/एसएमएस की आवृत्ति और 02.12.2003 को उनकी आवृत्ति के बीच तीव्र अंतर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई देती है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 56 संचार हुए, जिनमें से कई एक के बाद एक किए गए। यह ध्यान देने योग्य है कि यह घटना के ठीक एक दिन पूर्व का दिन था, और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति हत्या की तैयारी में परस्पर संचार कर रहे थे। हम यह भी देखते हैं कि इनमें से 34 संचार ए-1 और ए-4 के बीच हुए। यह भी देखा जा सकता है कि जैसे-जैसे घटना की तिथि निकट आती है, ए-2 की ओर से भी सक्रिय संचार होने लगता है, क्योंकि ए-1 और ए-2 के बीच कुल 11 संचार हुए, जिनमें 7 वॉयस कॉल और 4 एसएमएस शामिल थे, तथा ए-3 द्वारा ए-2 को 5 वॉयस कॉल भी किए गए।

79. आश्चर्यजनक रूप से, 02.12.2003 से पूर्व ए-1 और ए-2 के बीच कोई भी संचार नहीं था, किंतु घटना के ठीक एक दिन पूर्व उनके बीच 11 संचार हुए, जबकि वे स्वीकारतः एक-दूसरे के लिए अपरिचित थे। हम ए-4 द्वारा ए-2 को भेजे गए एसएमएस का भी संज्ञान लेते हैं। इन

कॉलों/एसएमएस में से कई विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा क्रमिक रूप से किए गए, जो उनके बीच समन्वित समन्वय की ओर संकेत करता है।

80. 03.12.2003 वह तिथि है जिस दिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो विवादित नहीं है। इस दिन के सी.डी.आर. तालिका 12 में उपलब्ध हैं। हम पाते हैं कि उक्त दिन अभियुक्त व्यक्तियों के बीच असंख्य संचार हुए थे।

81. केवल ए-1 और ए-4 के बीच ही 54 संचार हुए, जिनमें 45 एसएमएस और 9 वॉयस कॉल शामिल थे। हम इस तिथि के लिए उपलब्ध सी.डी.आर. का विस्तृत विश्लेषण करना चाहेंगे, क्योंकि इसी दिन यह भयानक घटना घटी थी। इसके लिए, हम पहले कुछ आधारभूत तथ्यों को स्थापित करना चाहेंगे जो विवादित नहीं हैं। पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-10 के साक्ष्य के अनुसार, मृतक लगभग 06:30 बजे शाम को ए-4 के साथ भोजन के लिए गया था। यह निर्विवाद है कि 06:30 बजे से लेकर घटना घटित होने तक ए-4 और मृतक साथ थे। तत्पश्चात, पीडब्लू-10 ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि ए-4 ने उसे लगभग 09:45 बजे से 10:00 बजे के बीच फोन कर घटना की सूचना दी। सी.डी.आर. से यह ज्ञात होता है कि लगभग 09:56 बजे ए-4 और पीडब्लू-10 के बीच कॉल हुआ था, और उक्त कॉल से पूर्व ए-1 और ए-4 के बीच अंतिम संचार 09:39 बजे हुआ था, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घटना 09:39 बजे से 09:56 बजे के बीच घटित हुई। अतः हम 06:30 बजे के बाद अभियुक्तों के बीच हुए संचार की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ए-1 और ए-4 के बीच 06:37 बजे से 09:39 बजे तक लगातार 38 एसएमएस का आदान-प्रदान हुआ, जो एक के बाद एक भेजे गए, तथा प्रत्येक संदेश के बीच औसतन केवल 2-7 मिनट का अंतर था।

82. यह अत्यंत विचित्र है कि ए-4 पूरे उस समय के दौरान, जब वह मृतक के साथ थी और जो उस समय उसका मंगेतर था, लगातार ए-1 के साथ संदेशों का आदान-प्रदान कर रही थी। इससे अभियोजन के इस कथन को बल मिलता है कि वह ए-1 को उनकी स्थिति के संबंध में जानकारी दे रही थी। स्पष्टतः, उक्त अवधि के दौरान कोई वॉयस कॉल नहीं किए गए, क्योंकि वह मृतक के पास होने के कारण फोन पर ए-1 से बात नहीं कर सकती थी। ए-1 और ए-2 के संबंध में, उनके बीच 4 संचार हुए, जिनमें अंतिम कॉल 05:42 बजे हुआ था। उसके पश्चात कोई कॉल/एसएमएस का आदान-प्रदान नहीं हुआ, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके बाद की पूरी अवधि में वे साथ थे। ए-3 ने 06:30 बजे के बाद ए-2 को 3 कॉल किए–07:39 बजे, 08:39 बजे और अंतिम कॉल 09:25 बजे, जो घटना के ठीक पूर्व किया गया था।

83. ए-1 और ए-4 के बीच 09:39 पी.एम. पर अंतिम संचार के बाद, 09:56 पी.एम. तक, जब ए-4 ने अपने पिता को घटना की सूचना दी, अभियुक्तों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संचार नहीं हुआ और पूर्णतः मौन रहा। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान अभियुक्तों के बीच यह अचानक मौन, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उस सिद्धांत को बल देता है कि मृतक की हत्या अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश के तहत की गई थी। सी.डी.आर. से यह भी स्पष्ट होता है कि घटना के पश्चात, घटना से पूर्व उनके बीच हुए अनेक संचारों के बावजूद, ए-4 ने ए-1 को घटना की सूचना देना उचित नहीं समझा, बल्कि केवल अपने पिता पीडब्लू-10 को ही सूचित किया। यह आचरण हमें अत्यंत विचित्र प्रतीत होता है। इस चरण पर, हम अभियुक्तों द्वारा किए गए कॉल के टावर लोकेशन का भी उल्लेख करना चाहेंगे। सी.डी.आर. तथा पीडब्लू-25 के साक्ष्य के अनुसार, ए-1 और ए-4 द्वारा किए गए कॉल एयरपोर्ट रोड स्थित कार्लटन टावर से रिकॉर्ड किए गए थे। इसी प्रकार, ए-2 द्वारा किए/प्राप्त कॉल डोम्लुर क्षेत्र के उस टावर से रिकॉर्ड किए गए, जिसकी परिधि में एयरपोर्ट रोड आता है। यद्यपि इससे अभियुक्तों की घटना-स्थल पर सटीक उपस्थिति सिद्ध नहीं होती, तथापि यह अवश्य सिद्ध होता है कि ए-1 और ए-2 घटना-स्थल के निकट थे। अतः यद्यपि यह स्वयं में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, तथापि यह अभियोजन के कथन को सुदृढ़ अवश्य करता है।

84. अब हम घटना के पश्चात की अवधि के लिए उपलब्ध सी.डी.आर. पर विचार करेंगे। यह देखा गया है कि घटना के पश्चात अभियुक्तों के बीच संचार अचानक समाप्त हो गया। मृतक के सिर पर आघात किए जाने के पश्चात, ए-4 ने उसे 10:10 पी.एम. पर अस्पताल में भर्ती कराया, जैसा कि प्रदर्श पी-86 के रूप में चिह्नित दुर्घटना रजिस्टर में उल्लेखित है। पीडब्लू-6 के साक्ष्य के अनुसार, ए-4 अपनी माता तथा मृतक के अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ लगभग 02:00 ए.एम. पर अस्पताल से चली गई और प्रातः लगभग 07:00 ए.एम. पर पुनः अस्पताल लौटी। 04.12.2003 के सी.डी.आर., जो तालिका 13 में हैं, यह दर्शाते हैं कि इस अवधि के दौरान भी ए-4 ने देर रात और प्रातःकाल ए-1 को संदेश भेजे, जिससे अभियोजन के इस सिद्धांत को बल मिलता है कि ए-4 मृतक की गंभीर स्थिति के बारे में ए-1 को अवगत कराना चाहती थी। तत्पश्चात, ए-3 ने प्रातःकाल के दौरान ए-1 और ए-2 दोनों को लगातार कॉल किए।

85. 05.12.2003 को, जैसा कि तालिका 14 में देखा गया है, ए-1 और ए-4 के बीच संचार लगभग नगण्य हो गया, जिसमें केवल एक संचार ए-1 द्वारा ए-4 को किया गया, तथा कुछ अन्य ए-1 और ए-2 के बीच हुए। 06.12.2003 को, जैसा कि तालिका 14 में उल्लेखित है, ए-1 और ए-4 के बीच केवल एकमात्र संचार हुआ।

86. उपर्युक्त सामग्री के आधार पर, हमारे लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष के अतिरिक्त किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों के बीच संचार अत्यधिक संख्या में हैं, जिनका एक स्पष्ट पैटर्न है, जो एक के बाद एक तथा रात्रि के विषम समयों में भी किए गए हैं। घटना के दिन तथा उससे एक दिन पूर्व संचार में अचानक वृद्धि, और उसके पश्चात घटना की रात तथा उसके बाद के दिनों में संचार में अचानक कमी, निरंतर रूप से केवल अभियुक्तों के दोष की ओर संकेत करती है तथा मृतक की हत्या के लिए रची गई साजिश का प्रमाण प्रस्तुत करती है। इस चरण पर, हम यह भी इंगित करना चाहेंगे कि यद्यपि सी.डी.आर. डेटा को स्वतंत्र रूप से ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता, तथापि इसका उपयोग उपयुक्त पुष्टिकरण के लिए अवश्य किया जा सकता है। सी.डी.आर. के साक्ष्यात्मक मूल्य का निर्धारण करने हेतु संबंधित परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जहाँ साक्ष्य अत्यधिक प्रबल हो और अभियुक्त का आचरण ऐसा हो कि वह उचित स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हो, किंतु ऐसा करने में विफल रहे, जैसा कि वर्तमान मामले में है, वहाँ सी.डी.आर. स्वयं ठोस साक्ष्य का स्वरूप भी धारण कर सकता है। अतः किसी विशिष्ट तथ्यात्मक परिदृश्य में, न्यायालय दोषसिद्धि के उद्देश्य से इस पर पर्याप्त निर्भरता रख सकता है। इतना कहना पर्याप्त है कि दोष सिद्ध करना संभाव्यता की डिग्री पर निर्भर करता है।

iv. <u>एम.ओ.11 और एम.ओ.12 की बरामदगी</u>

87. यद्यपि एम.ओ.11 और एम.ओ.12 के संबंध में व्यापक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, तथापि हम बरामदगी को बनाए रखने के पक्ष में हैं। अभियोजन का यह कथन है कि ए-2 पिलियन राइडर था, जो स्कूटर (एम.ओ.12) से उतरकर स्टील रॉड/पाइप (एम.ओ.11) का उपयोग करते हुए मृतक पर आक्रमण किया। यह विवादित नहीं है कि एम.ओ.11 की बरामदगी ए-2 के संकेत पर की गई थी। उक्त बरामदगी पीडब्लू-30 द्वारा देखी गई, जिन्होंने विधिवत अपने हस्ताक्षर जब्ती महाजर पर किए, जिसे प्रदर्श पी-87 के रूप में चिह्नित किया गया है। दोनों न्यायालयों ने सही रूप से पीडब्लू-30 के साक्ष्य को स्वीकार किया है, जो एक स्वतंत्र साक्षी हैं। केवल इस आधार पर कि अन्य पंच साक्षी का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया, जबकि उसे साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था, पीडब्लू-30 के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एम.ओ.11 की बरामदगी एक सैन्य परिसर में स्थित एक एकांत स्थान से की गई थी। इसे ए-2 द्वारा पहचान किए जाने पर झाड़ी से निकाला गया। केवल इस कारण से कि बरामदगी के समय ए-1 भी उपस्थित था, यह नहीं कहा जा सकता कि बरामदगी ए-1 और ए-2 द्वारा संयुक्त प्रकटीकरण के आधार पर की गई थी और इसलिए यह अवैध है। यहाँ यह उल्लेख

करना प्रासंगिक है कि ए-1 और ए-2 के 'स्वैच्छिक' कथन भी पृथक-पृथक रूप से दर्ज किए गए थे और उन्हें क्रमशः प्रदर्श पी-94 और प्रदर्श पी-95 के रूप में चिह्नित किया गया है।

किशोर भड़के बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2017) 3 एससीसी 760

> "35. दिल्ली राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम नवजोत संधू (एस.सी.सी. पृष्ठ 711-12, पैरा 145) में, इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि संयुक्त प्रकटीकरण या एक साथ किए गए प्रकटीकरण, अपने आप में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अवैध नहीं होते। अभियुक्त व्यक्ति का एक ही होना आवश्यक नहीं है, बल्कि अभियुक्तों की बहुलता भी हो सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि संयुक्त या एक साथ किया गया प्रकटीकरण एक मिथक है, क्योंकि दो या अधिक अभियुक्त व्यक्ति एक साथ कोरस में सूचना संबंधी शब्द नहीं बोल सकते। जब हिरासत में दो व्यक्तियों से पृथक-पृथक तथा एक साथ पूछताछ की जाती है और दोनों ही समान जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जो किसी तथ्य की खोज की ओर ले जाती है और जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाता है, तो इस प्रकार का प्रकटीकरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे से बाहर नहीं जाता। जो प्रासंगिक है वह यह है कि जानकारी एक के बाद एक, बिना किसी अंतराल के, लगभग एक साथ दी गई हो, जैसा कि वर्तमान मामले में है, और उस जानकारी के पश्चात दोनों द्वारा भौतिक वस्तुओं की ओर संकेत किया गया हो, तो ऐसे साक्ष्य को धारा 27 के दायरे से बाहर करने का कोई उचित कारण नहीं है। यह कि उक्त जानकारी विश्वसनीय है या नहीं, साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस संबंध में अभियोजन के कथन को विश्वसनीय मानते हुए स्वीकार किया है। इतना कहना पर्याप्त है कि अभियुक्त 3 द्वारा संबंधित तथ्य के संबंध में किया गया प्रकटीकरण, अपने आप में, अवैध नहीं है।"

(ज़ोर दिया गया)

88. अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आवश्यक कड़ी, अभियुक्तों के प्रकटीकरण कथनों को दर्ज करते समय पंच साक्षियों की अनुपस्थिति के कारण अनुपस्थित है, तथापि मामले के तथ्यों के आधार पर यह तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रकटीकरण कथन के समय साक्षी की उपस्थिति कोई अनिवार्य शर्त नहीं है,

बल्कि केवल सावधानी का एक उपाय है। केवल प्रकटीकरण कथन के समय साक्षी की अनुपस्थिति मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बरामदगी स्वयं संदेहास्पद है।

89. हम यह भी पाते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क कि पीडब्लू-18 ने अपने परीक्षण के दौरान हथियार पर कोई रक्त धब्बा नहीं पाया, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर की भूमिका भिन्न है। पुलिस ने उक्त हथियार उसे केवल इस उद्देश्य से भेजा था कि वह यह राय दे सके कि क्या मृतक को लगी चोटें एम.ओ.11 से कारित की गई थीं, और इस संबंध में उसने अपनी रिपोर्ट के समर्थन में विधिवत यह कथन किया कि उक्त हथियार से मृतक को ऐसी चोटें पहुँचाई जा सकती थीं। रक्त धब्बे की उपस्थिति के संबंध में, हम एफ.एस.एल रिपोर्ट पर निर्भर रहने के पक्ष में हैं, क्योंकि यह रिपोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से हथियार का विश्लेषण करने के पश्चात तैयार की जाती है, न कि केवल नग्न आंखों से देखने के आधार पर।

90. एम.ओ.11 की सीलिंग के संबंध में, अभिलेखों से हमें यह ज्ञात होता है कि इसे 'एन' अक्षर से युक्त सील द्वारा विधिवत सील किया गया था तथा यह भेजे गए नमूने के साथ विवरण के अनुरूप भी था। यह तथ्य पुलिस द्वारा किए गए सभी अनुरोधों तथा एफ.एस.एल रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एम.ओ.11 सील किया हुआ था और सील अक्षुण्ण थी। चूँकि हम पहले ही पीडब्लू-15 के साक्ष्य को अस्वीकार कर चुके हैं, अतः उसका यह कथन कि एम.ओ.11 पुलिस स्टेशन में असुरक्षित रखा गया था, भी स्वीकार्य नहीं है। यह तर्क कि एम.ओ.11 स्टील रॉड है या स्टील पाइप, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, अप्रासंगिक है, क्योंकि स्टील रॉड और स्टील पाइप का बाहय स्वरूप समान होता है। यदि वह अंदर से खोखला है तो वह स्टील पाइप होगा, अन्यथा स्टील रॉड। यहाँ, हथियार के विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि एम.ओ.11 एक स्टील पाइप है, क्योंकि वह अंदर से खोखला है। पीडब्लू-30 और पीडब्लू-31 ने भी न्यायालय के समक्ष इसी प्रकार का स्पष्ट साक्ष्य दिया है। हथियार को एफ.एस.एल को भेजने में विलंब के संबंध में उठाया गया तर्क भी अप्रासंगिक है, क्योंकि मात्र विलंब के आधार पर बरामदगी से संबंधित साक्ष्य, जो अन्यथा सुसंगत है, को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम छक्की लाल और अन्य, (2019) 12 एससीसी 326** में प्रतिपादित किया गया है।

> “34. दोषसिद्धि के निर्णय को पलटने के लिए, उच्च न्यायालय ने यह इंगित किया कि जब्त की गई बंदूक और पिस्तौल (जो 1.3.2006 को बरामद की गई थीं) को एफ.एस.एल को भेजने में विलंब हुआ, क्योंकि उन्हें केवल 19.4.2006

> को एफ.एस.एल भेजा गया। उच्च न्यायालय ने अभियोजन के मामले पर संदेह व्यक्त किया यह कहते हुए कि जब्त की गई बंदूक/पिस्तौल को भेजने में विलंब के अतिरिक्त, ऐसा कोई अभिलेख नहीं है जो यह दर्शाए कि 1.3.2006 से 19.4.2006 की अवधि के दौरान ये जब्त हथियार कहाँ रखे गए थे। बरामद हथियारों को एफ.एस.एल को भेजने में इस प्रकार का विलंब केवल अन्वेषण अधिकारी की ओर से एक त्रुटि या चूक हो सकता है। **इस प्रकार की त्रुटियाँ या चूक, जो अन्वेषण में हुई हों, ऐसे अभियोजन मामले को, जो अन्यथा विश्वसनीय और सुसंगत है, अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकती...."**
>
> (ज़ोर दिया गया)

91. एम.ओ.12 की बरामदगी ए-1 के प्रकटीकरण कथन के आधार पर, पीडब्लू-30 की उपस्थिति में ए-1 के घर से की गई थी। इस तथ्य की पुष्टि पीडब्लू-30 और पीडब्लू-31 ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में की है। ए-1 द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गई कि एम.ओ.12 उसकी बहन डीडब्ल्यू-3 की थी, जिसे उनके माता-पिता द्वारा उसके विवाह में उपहार स्वरूप दिया गया था और जिसका उपयोग वह तमिलनाडु में कर रही थी, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संबंधित समय पर बेंगलुरु स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ही उक्त वाहन की बीमाकर्ता बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि डीडब्ल्यू-3 ने तमिलनाडु के आरटीओ को कोई सूचना दी थी कि उसने वाहन को कर्नाटक राज्य से तमिलनाडु राज्य में स्थानांतरित कर लिया है। अतः, कोई योग्यता न पाते हुए, हम ए-1 द्वारा उठाए गए प्रतिरक्षा को अस्वीकार करते हैं। उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, हम एम.ओ.11 और एम.ओ.12 की बरामदगी को बनाए रखने के पक्ष में हैं। अब हमारे विचारार्थ केवल अभियुक्तों का आचरण तथा ए-1 द्वारा उठाया गया अलीबी का प्रतिवेदन शेष रह जाता है, जो प्रासंगिक तथ्य हैं।

v. <u>ए-4 का आचरण</u>

92. प्रथम, ए-4 का आचरण एक ऐसे व्यक्ति के लिए अत्यंत विचित्र है, जो न केवल उस अवधि के दौरान, जब उसका विवाह प्रस्ताव मृतक के साथ विचाराधीन था, बल्कि उसके साथ सगाई होने के पश्चात भी, प्रतिदिन अनेक कॉल/एसएमएस के माध्यम से ए-1 के साथ निरंतर संपर्क में थी। द्वितीय, घटना के दिन भी उसका आचरण अस्वाभाविक प्रतीत होता है, क्योंकि वह अपने तत्कालीन मंगेतर, मृतक, के साथ भोजन के लिए बाहर जाने के दौरान भी निरंतर ए-1 के साथ संचार कर रही थी। तथापि, घटना घटित होने के तुरंत बाद उसने जानबूझकर ए-1 के

साथ संचार बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब उसका मंगेतर मृत्युशय्या पर था, तब भी ए-4 ए-1 के साथ संपर्क में थी और उसका ऐसा आचरण उसकी निर्दोषता के विपरीत है तथा उनके संदिग्ध संबंध के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। तृतीय, हम यह भी पाते हैं कि ए-4 ने स्वयं को तथा अन्य अभियुक्तों को दंड से बचाने के उद्देश्य से साक्ष्य के विनाश का प्रयास किया, क्योंकि ए-4 से बरामद मोबाइल फोन में उपलब्ध सभी संदेश, विशेष रूप से घटना के दिन आदान-प्रदान किए गए संदेश, हटाए हुए पाए गए। ए-1 द्वारा प्रयुक्त मोबाइल फोन, एम.ओ.13, की भी यही स्थिति थी। पीडब्लू-10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि जब उसने 26.01.2004 को फोन अन्वेषण अधिकारी को सौंपा, तब एम.ओ.10 के इनबॉक्स या आउटबॉक्स में कोई संदेश नहीं थे। पीडब्लू-33, जो कि एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं, ने भी यह पुष्टि की कि फोन में संदेश केवल मैनुअल संचालन द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। यदि उक्त संदेश अभियुक्तों के बीच किसी अन्य असली उद्देश्य से आदान-प्रदान किए गए थे, तो अभियुक्तों का यह दायित्व था कि वे न्यायालय के समक्ष उसका स्पष्टीकरण दें, जिसमें वे विफल रहे हैं। अतः, फोन में संदेशों का अभाव, तथा घटना से ठीक पूर्व उनके व्यापक संचार के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण देने में अभियुक्तों की विफलता, हमें ए-1 और ए-4 के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान निकालने के लिए प्रेरित करती है।

vi. <u>अन्यत्र उपस्थिति का प्रतिवेदन</u>

93. इसी प्रकार, न्यायालयों ने ए-1 के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान उचित रूप से निकाला, जब यह पाया गया कि उसके द्वारा उठाया गया अन्यत्र उपस्थिति का प्रतिवेदन पीडब्लू-22 और डीडब्ल्यू-1 के साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं हुआ। पीडब्लू-22, जो ए-1 के पिता हैं, ने यह साक्ष्य दिया कि 03.12.2003 की रात ए-1 एच.ए.एल अस्पताल में था, क्योंकि उसके ससुर वहाँ भर्ती थे। अतः उक्त अन्यत्र उपस्थिति के प्रतिवेदन को सिद्ध करने हेतु, डिस्चार्ज समरी को प्रदर्श डी-60 के रूप में चिह्नित किया गया तथा डीडब्ल्यू-1, जो उक्त अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे, का परीक्षण प्रतिरक्षा द्वारा किया गया। तथापि, प्रदर्श डी-60 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि संबंधित अवधि के दौरान ए-1 अस्पताल में उपस्थित था, और डीडब्ल्यू-1 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि अस्पताल में इस बात का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता कि मरीज से मिलने कौन आया था। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ए-1 ने मिथ्या अन्यत्र उपस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

94. उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि आधारभूत तथ्य विवादित नहीं हैं। मृतक की हत्या संबंधी अभियोजन का मामला, प्रदर्श पी-35 के रूप में चिह्नित पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट तथा पीडब्लू-18 के उसके समर्थन में दिए गए साक्ष्य द्वारा विधिवत सिद्ध होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है

कि मृतक को कुल छह चोटें आई थीं, जिनमें 'चोट संख्या 2' सिर पर लगी एक गंभीर चोट थी, और मृत्यु का कारण उक्त सिर की चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोमा था। अपीलकर्ताओं द्वारा उक्त चिकित्सीय साक्ष्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसी प्रकार, स्वयं ए-4 का यह कथन है कि घटना के समय वह मृतक के साथ थी। यह न केवल उसका स्वयं का कथन है, बल्कि उसके माता-पिता, जिन्होंने पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 के रूप में साक्ष्य दिया, का भी यही कथन है। उक्त तथ्य दुर्घटना रजिस्टर, जिसे प्रदर्श पी-86 के रूप में चिह्नित किया गया है, से भी समर्थित है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 03.12.2003 की रात मृतक को अस्पताल में भर्ती कराने वाली ए-4 ही थी। पीडब्लू-29 ने भी दुर्घटना रजिस्टर के संबंध में साक्ष्य देकर उक्त तथ्य की पुष्टि की है। अतः घटना का घटित होना तथा घटना के समय ए-4 का मृतक के साथ होना विवादित नहीं है। इस सीमा तक, हम यह भी कह सकते हैं कि ए-4 घटना की प्रत्यक्षदर्शी थी, क्योंकि उसने स्थल जब्ती महाजर, प्रदर्श पी-14 में यह कथन किया था कि उसने किसी व्यक्ति को मृतक पर आक्रमण करने के पश्चात भागते हुए देखा था। घटना के समय मृतक के अत्यंत निकट होने के बावजूद, यह अत्यंत विचित्र है कि ए-4 पूर्णतः सुरक्षित रही, जबकि उसके कथन के अनुसार उन दोनों पर आक्रमण किया गया था, और मृतक को कुल छह चोटें आईं। यह तथ्य अपराध में ए-4 की संलिप्तता को दर्शाता है, विशेषकर जब प्रतिरक्षा मृतक की हत्या के लिए कोई अन्य उद्देश्य स्थापित करने में विफल रही है।

95. अतः, उपर्युक्त तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर, हम यह पाते हैं कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि करने का मामला स्थापित होता है। हम ऐसा करने के पक्ष में हैं, यद्यपि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जिनमें पीडब्लू-8, पीडब्लू-11, पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 के साक्ष्य भी शामिल हैं, के प्रति हमारी अस्वीकृति के बावजूद।

96. इस प्रकार, हम यह ठहराते हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी पूर्ण रूप से जुड़ी हुई और सिद्ध है, क्योंकि उद्देश्य पीडब्लू-23 के साक्ष्य द्वारा विधिवत स्थापित किया गया है, विस्तृत सी.डी.आर. को पीडब्लू-24 और पीडब्लू-25 के साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है, जिन्होंने विस्तृत एवं गहन प्रतिपरीक्षण का सामना किया, तथा हथियार की बरामदगी भी सिद्ध हो चुकी है। यहाँ तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज अभियुक्तों के कथनों में भी 25.11.2003 से 04.12.2003 की अवधि के दौरान उनके बीच हुए अनेक संचारों के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जहाँ तक ए-3 का संबंध है, हम यह मानने के पक्ष में हैं कि उसने न केवल पर्दे के पीछे रहकर पूरे हत्या के षड्यंत्र का संचालन किया, बल्कि अन्य अभियुक्तों की सक्रिय रूप से निगरानी, निर्देशन एवं पर्यवेक्षण भी किया। वह न केवल ए-2 के साथ, बल्कि ए-1 और ए-4 के साथ भी निरंतर संपर्क में था। सी.डी.आर. से यह स्पष्ट होता है कि 25.11.2003 से 03.12.2003 की अवधि के दौरान ए-3

और ए-4 के बीच कुल 34 वॉयस कॉल हुए, और उक्त अवधि से पूर्व या पश्चात उनके बीच कोई संचार नहीं हुआ। यह साक्ष्य अत्यंत प्रबल है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्वीकार है कि उनके बीच कोई पूर्व संबंध नहीं था, और वे एक-दूसरे के लिए पूर्णतः अपरिचित थे, भिन्न सामाजिक स्तरों से संबंधित थे तथा उनके बीच कोई समानता नहीं थी, जिससे उनके बीच इस प्रकार का व्यापक संचार होना स्वाभाविक नहीं था। ए-3 ही वह व्यक्ति था जिसने ए-1, ए-2 और ए-4 तीनों के साथ व्यापक रूप से संपर्क किया। यद्यपि अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन ए-3 के पेशे को सिद्ध करने में असफल रहा है, तथापि हमारे लिए उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाना ही पर्याप्त है।

97. जहाँ तक ए-2 का संबंध है, वह मामले में काफी बाद में सम्मिलित हुआ। अभियोजन का यह कथन है कि इस किशोर को ए-3 के कहने पर अंतिम वार करने हेतु शामिल किया गया था। हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि ए-2 एक गरीब समुदाय से आने वाला किशोर था और पीडब्लू-17, जो उसके पिता हैं, के साक्ष्य के अनुसार वह माल की लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य करता था। ए-2 और ए-3 के बीच संबंध भी पीडब्लू-14 के साक्ष्य से सिद्ध होता है, जिन्होंने इसे स्वीकार किया है, और इस प्रकार, उसके विरुद्ध उपलब्ध बरामदगी तथा सी.डी.आर. के आधार पर हम ए-2 को दोषमुक्त करने में असमर्थ हैं।

98. जैसा कि ऊपर कहा गया है, ए-4 न केवल ए-1, बल्कि ए-3 के साथ भी निरंतर संपर्क में थी। उसे परिस्थितियों की पूरी जानकारी थी और उक्त संचार अंतिम कृत्य तक जारी रहा। जब ए-4 ने अपनी समस्या ए-1 के समक्ष रखी, तो उसने ए-3 से संपर्क किया, जिसने ए-2 की सहायता लेकर योजना को आगे बढ़ाया। इस प्रक्रिया में, ए-4 ने स्वयं को तथा अन्य अभियुक्तों को विधिक दंड से बचाने के उद्देश्य से साक्ष्य के विनाश में भी संलिप्तता दिखाई, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की पर्याप्तता से संतुष्ट होने पर, यद्यपि भिन्न कारणों से, हम चुनौतीगत निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंड को बनाए रखने के पक्ष में हैं। तदनुसार, अपीलें निरस्त की जाती हैं और उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120-बी के अंतर्गत तथा अतिरिक्त रूप से ए-4 के विरुद्ध धारा 201 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। उन पर आरोपित आजीवन कारावास की सजा भी यथावत रखी जाती है।

<u>आगे बढ़ते हुए</u>

99. हम अपने निर्णय का समापन केवल दोषसिद्धि प्रदान करके नहीं करना चाहते। हमारा मानना है कि इस न्यायालय की भूमिका इससे कुछ अधिक है। यह ध्यान में रखते हुए कि हमने

अपनी चर्चा इस विचार से प्रारंभ की थी कि यदि परिवार ए-4 की मानसिक प्रवृत्ति और स्थिति को समझने में अधिक सहानुभूतिपूर्ण होता, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना संभवतः न घटती, हम कुछ टिप्पणियाँ करना आवश्यक समझते हैं। अंततः, ए-4, यद्यपि वह वयस्क थी, अपने लिए निर्णय लेने में असमर्थ रही। यह कहते हुए भी, हम उसके कृत्य को क्षम्य नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक निर्दोष युवा का जीवन समाप्त हुआ। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि ए-4 ने अपनी समस्या के समाधान हेतु गलत मार्ग अपनाकर यह अपराध किया। इस अपराध के घटित होने (जो वर्ष 2003 में हुआ) के बाद से कई वर्ष बीत चुके हैं।

100. जिन अपीलकर्ताओं ने उस समय अत्यधिक उत्तेजना की अवस्था में यह अपराध किया था, वे अब मध्य आयु तक पहुँच चुके हैं। चार अभियुक्तों में से दो उस समय किशोर थे, जबकि ए-4 ने अभी-अभी उस अवस्था को पार किया था। ए-3 उस समय 28 वर्ष का व्यक्ति था, जो हाल ही में विवाहित था और उसका एक बच्चा भी था। एक न्यायालय के रूप में, हम इस मामले को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, केवल इस उद्देश्य से कि उन अपीलकर्ताओं को एक नया जीवन प्रदान किया जा सके जिन्होंने एक जघन्य अपराध किया है, यद्यपि ए-4 के समक्ष अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध थे। हमें यह भी सूचित किया गया है कि उसके बाद उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आचरण नहीं पाया गया है। कारावास में उनका आचरण भी प्रतिकूल नहीं है। वे जन्म से अपराधी नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक साहसिक निर्णय के कारण हुई त्रुटि ने उन्हें इस जघन्य अपराध तक पहुँचा दिया। इस स्तर पर यह निर्धारित करना कठिन है कि किसने किसे प्रभावित किया, यद्यपि यह स्पष्ट है कि उनके बीच आपसी सहमति थी।

101. उपर्युक्त के आलोक में, हम अपीलकर्ताओं को क्षमादान प्राप्त करने के उनके अधिकार को सुगम बनाने हेतु उन्हें माननीय कर्नाटक के राज्यपाल के समक्ष उपयुक्त याचिकाएँ दायर करने की अनुमति प्रदान करते हैं। हम केवल संवैधानिक प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त याचिकाओं पर विचार करें, और हमें आशा एवं विश्वास है कि ऐसा किया जाएगा।

102. तदनुसार, हम इस निर्णय की तिथि से आठ सप्ताह का समय प्रदान करते हैं, ताकि अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति का आह्वान करने हेतु उपयुक्त याचिकाएँ प्रस्तुत कर सकें। जब तक इन याचिकाओं पर विधिवत विचार कर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनकी सजा स्थगित रहेगी।

103. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ अपीलें निरस्त की जाती हैं।

104. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निस्तारण किया जाता है।

परिशिष्ट 'ए'

तालिका 1

अक्टूबर 2003

क्रम संख्या	तारीख	समय	के द्वारा	किसको
1.	03.10.2003	06:01 पी.एम.	ए3	ए1
2.	12.10.2003	08:44 ए.एम.	ए3	ए1
3.	15.10.2003	02:24 पी.एम.	ए3	ए1
4.	22.10.2003	03:48 पी.एम.	ए3	ए1
5.	22.10.2003	10:55 पी.एम.	ए3	ए1
6.	25.10.2003	05:59 पी.एम.	ए4	मृतक
7.	25.10.2003	08:23 पी.एम.	ए4	मृतक
8.	25.10.2003	08:29 पी.एम.	ए4	मृतक
9.	25.10.2003	08:34 पी.एम.	ए4	मृतक
10.	25.10.2003	09:29 पी.एम.	ए4	मृतक
11.	**25.10.2003**	**11:56 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
12.	26.10.2003	07:58 ए.एम.	ए4	मृतक
13.	26.10.2003	08:42 ए.एम.	ए4	मृतक
14.	26.10.2003	10:05 ए.एम.	ए4	मृतक
15.	26.10.2003	10:11 ए.एम.	ए4	मृतक
16.	26.10.2003	05:16 पी.एम.	ए3	ए1
17.	**26.10.2003**	**01:38 ए.एम.**	**ए4**	**ए1**
18.	**26.10.2003**	**01:38 ए.एम.**	**ए4**	**ए1**

19.	27.10.2003	11:38 ए.एम.	ए4	ए1
20.	27.10.2003	05:30 पी.एम.	ए3	ए1
21.	27.10.2003	07:09 पी.एम.	ए3	ए1
22.	27.10.2003	09:38 पी.एम.	ए3	ए1
23.	27.10.2003	10:01 पी.एम.	ए4	मृतक
24.	27.10.2003	10:11 पी.एम.	ए4	मृतक
25.	27.10.2003	10:15 पी.एम.	ए4	मृतक
26.	27.10.2003	10:37 पी.एम.	ए4	मृतक
27.	27.10.2003	11:22 पी.एम.	ए4	मृतक
28.	28.10.2003	01:45 पी.एम.	ए4	मृतक
29.	28.10.2003	02:38 पी.एम.	ए4	ए1
30.	28.10.2003	05:24 पी.एम.	ए4	मृतक
31.	**28.10.2003**	**10:30 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
32.	**28.10.2003**	**11:01 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
33.	28.10.2003	11:07 पी.एम.	ए4	मृतक
34.	29.10.2003	10:24 ए.एम.	ए4	ए1
35.	29.10.2003	02:29 पी.एम.	ए4	ए1
36.	29.10.2003	02:56 पी.एम.	ए4	ए1
37.	29.10.2003	08:22 पी.एम.	ए4	ए1
38.	29.10.2003	09:27 पी.एम.	ए4	ए1
39.	29.10.2003	10:40 पी.एम.	ए4	मृतक
40.	**29.10.2003**	**10:44 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
41.	30.10.2003	05:51 पी.एम.	ए4	ए1

42.	30.10.2003	07:02 पी.एम.	ए4	मृतक
43.	**30.10.2003**	**11:19 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
44.	31.10.2003	09:10 ए.एम.	ए4	ए1
45.	31.10.2003	09:36 ए.एम.	ए4	ए1
46.	31.10.2003	12:05 पी.एम.	ए4	मृतक
47.	31.10.2003	01:40 पी.एम.	ए4	मृतक
48.	31.10.2003	08:44 पी.एम.	ए4	ए1
49.	**31.10.2003**	**10:37 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
50.	31.10.2003	10:55 पी.एम.	ए4	मृतक

तालिका - 2

01.11.2003-15.11.2003

क्रम संख्या	**तारीख**	**समय**	**के द्वारा**	**किसको**
1.	**01.11.2003**	**12:35 ए.एम.**	**ए1**	**ए4**
2.	01.11.2003	01:52 पी.एम.	ए4	मृतक
3.	01.11.2003	03:41 पी.एम.	ए4	ए1
4.	01.11.2003	04:09 पी.एम.	ए4	मृतक
5.	01.11.2003	07:02 पी.एम.	ए4	ए1
6.	01.11.2003	07:03 पी.एम.	ए4	ए1
7.	01.11.2003	08:20 पी.एम.	ए4	मृतक
8.	01.11.2003	09:17 पी.एम.	ए4	ए1

9.	**01.11.2003**	**11:30 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
10.	01.11.2003	11:36 पी.एम.	ए4	मृतक
11.	**01.11.2003**	**11:41 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
12.	**02.11.2003**	**01:40 ए.एम.**	**ए1**	**ए4**
13.	02.11.2003	10:45 ए.एम.	ए4	मृतक
14.	02.11.2003	05:07 पी.एम.	ए4	मृतक
15.	02.11.2003	06:16 पी.एम.	ए4	ए1
16.	02.11.2003	08:13 पी.एम.	ए4	मृतक
17.	02.11.2003	10:47 पी.एम.	ए4	मृतक
18.	03.11.2003	07:44 ए.एम.	ए4	मृतक
19.	03.11.2003	11:03 ए.एम.	ए4	ए1
20.	03.11.2003	05:58 पी.एम.	ए4	ए1
21.	03.11.2003	07:24 पी.एम.	ए4	मृतक
22.	03.11.2003	10:45 पी.एम.	ए4	मृतक
23.	**03.11.2003**	**11:44 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
24.	04.11.2003	08:59 ए.एम.	ए4	मृतक
25.	04.11.2003	09:49 ए.एम.	ए4	ए1
26.	04.11.2003	09:53 ए.एम.	ए4	ए1
27.	04.11.2003	05:34 पी.एम.	ए4	ए1

28.	05.11.2003	11:54 ए.एम.	ए4	मृतक
29.	05.11.2003	03:10 पी.एम.	ए4	मृतक
30.	05.11.2003	03:44 पी.एम.	ए4	मृतक
31.	05.11.2003	04:00:15 पी.एम.	ए4	ए1
32.	05.11.2003	04:00:17 पी.एम.	ए4	ए1
33.	05.11.2003	06:56 पी.एम.	ए4	मृतक
34.	05.11.2003	06:58 पी.एम.	ए4	मृतक
35.	05.11.2003	08:21:26 पी.एम.	ए4	ए1
36.	05.11.2003	08:21:28 पी.एम.	ए4	ए1
37.	05.11.2003	08:35 पी.एम.	ए4	मृतक
38.	05.11.2003	08:36 पी.एम.	ए4	मृतक
39.	05.11.2003	08:52:47 पी.एम.	ए4	ए1
40.	05.11.2003	08:52:49 पी.एम.	ए4	ए1
41.	05.11.2003	09:19 पी.एम.	ए4	ए1
42.	05.11.2003	09:34 पी.एम.	ए4	ए1
43.	05.11.2003	10:34 पी.एम.	ए4	मृतक
44.	06.11.2003	9:17 ए.एम.	ए4	मृतक
45.	06.11.2003	09:32 ए.एम.	ए4	ए1
46.	06.11.2003	10:57:49 ए.एम.	ए4	ए1

47.	06.11.2003	10:57:53 ए.एम.	ए4	ए1
48.	06.11.2003	10:57:55 ए.एम.	ए4	ए1
49.	06.11.2003	11:24 ए.एम.	ए4	ए1
50.	06.11.2003	11:12 पी.एम.	ए4	मृतक
51.	07.11.2003	08:50 ए.एम.	ए4	मृतक
52.	07.11.2003	07:22:45 पी.एम.	ए4	मृतक
53.	07.11.2003	07:22:47 पी.एम.	ए4	मृतक
54.	07.11.2003	08:46 पी.एम.	ए4	मृतक
55.	07.11.2003	09:49 पी.एम.	ए4	मृतक
56.	**07.11.2003**	**11:33:13 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
57.	**07.11.2003**	**11:33:16 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
58.	**07.11.2003**	**11:43 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
59.	**08.11.2003**	**01:06 ए.एम.**	**ए4**	**ए1**
60.	08.11.2003	09:33 ए.एम.	ए1	ए4
61.	08.11.2003	01:11 पी.एम.	ए4	मृतक
62.	08.11.2003	03:18 पी.एम.	ए4	मृतक
63.	08.11.2003	04:43 पी.एम.	ए4	ए1
64.	08.11.2003	05:08:48 पी.एम.	ए4	ए1
65.	08.11.2003	05:08:50 पी.एम.	ए4	ए1

66.	08.11.2003	05:10 पी.एम.	ए4	मृतक
67.	08.11.2003	05:11 पी.एम.	ए4	मृतक
68.	08.11.2003	07:11 पी.एम.	ए4	मृतक
69.	08.11.2003	07:19 पी.एम.	ए4	मृतक
70.	08.11.2003	08:49 पी.एम.	ए4	मृतक
71.	08.11.2003	09:27 पी.एम.	ए4	ए1
72.	**08.11.2003**	**10:04:01 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
73.	**08.11.2003**	**10:04:03 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
74.	**09.11.2003**	**12:43 ए.एम.**	**ए1**	**ए4**
75.	**09.11.2003**	**03:51 ए.एम.**	**ए1**	**ए4**
76.	09.11.2003	10:26 ए.एम.	ए4	ए1
77.	09.11.2003	03:38 पी.एम.	ए4	ए1
78.	09.11.2003	08:17 पी.एम.	ए4	ए1
79.	**09.11.2003**	**10:11:46 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
80.	**09.11.2003**	**10:11:47 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
81.	**09.11.2003**	**11:35 पी.एम.**	**ए1**	**ए4**
82.	10.11.2003	03:25 पी.एम.	ए4	ए1
83.	10.11.2003	04:18 पी.एम.	ए4	ए1
84.	10.11.2003	05:50 पी.एम.	ए4	ए1

85.	10.11.2003	06:05 पी.एम.	ए4	ए1
86.	10.11.2003	09:57 पी.एम.	ए4	ए1
87.	10.11.2003	09:59:41 पी.एम.	ए4	ए1
88.	10.11.2003	09:59:44 पी.एम.	ए4	ए1
89.	**10.11.2003**	**10:42 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
90.	**10.11.2003**	**11:10:30 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
91.	**10.11.2003**	**11:10:33 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
92.	11.11.2003	12:12 पी.एम.	ए4	ए1
93.	11.11.2003	02:13 पी.एम.	ए4	ए1
94.	11.11.2003	05:24 पी.एम.	ए4	ए1
95.	11.11.2003	07:48 पी.एम.	ए4	ए1
96.	11.11.2003	08:11 पी.एम.	ए4	मृतक
97.	**11.11.2003**	**11:18:34 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
98.	**11.11.2003**	**11:18:37 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
99.	**11.11.2003**	**11:32 पी.एम.**	**ए1**	**ए4**
100.	12.11.2003	02:09 पी.एम.	ए4	ए1
101.	12.11.2003	02:11 पी.एम.	ए4	ए1
102.	12.11.2003	02:20 पी.एम.	ए4	ए1
103.	12.11.2003	02:36 पी.एम.	ए4	ए1

104.	12.11.2003	04:00 पी.एम.	ए4	ए1
105.	12.11.2003	05:09 पी.एम.	ए4	ए1
106.	12.11.2003	05:53 पी.एम.	ए4	ए1
107.	**12.11.2003**	**10:21 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
108.	**12.11.2003**	**11:11 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
109.	12.11.2003	11:35 पी.एम.	ए4	मृतक
110.	13.11.2003	08:08 ए.एम.	ए1	ए4
111.	13.11.2003	07:11 पी.एम.	ए4	ए1
112.	13.11.2003	07:12:00 पी.एम.	ए4	ए1
113.	13.11.2003	07:12:04 पी.एम.	ए4	ए1
114.	13.11.2003	08:04 पी.एम.	ए4	मृतक
115.	**13.11.2003**	**10:20:03 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
116.	**13.11.2003**	**10:20:05 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
117.	**13.11.2003**	**10:59 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
118.	**13.11.2003**	**11:13 पी.एम.**	**ए1**	**ए4**
119.	14.11.2003	03:15 पी.एम.	ए4	मृतक
120.	14.11.2003	07:53 पी.एम.	ए4	ए1
121.	14.11.2003	08:37:39 पी.एम.	ए4	ए1
122.	14.11.2003	08:37:43 पी.एम.	ए4	ए1

123.	14.11.2003	08:37:45 पी.एम.	ए4	ए1
124.	**14.11.2003**	**11:06:58 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
125.	**14.11.2003**	**11:07:01 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
126.	**15.11.2003**	**12:40 ए.एम.**	**ए4**	**ए1**
127.	15.11.2003	08:30 ए.एम.	ए4	ए1
128.	15.11.2003	09:04:06 ए.एम.	ए4	ए1
129.	15.11.2003	10:14 ए.एम.	ए4	मृतक
130.	15.11.2003	12:47 पी.एम.	ए1	ए4
131.	15.11.2003	03:25 पी.एम.	ए4	मृतक
132.	15.11.2003	04:29 पी.एम.	ए4	मृतक
133.	15.11.2003	09:46 पी.एम.	ए4	मृतक
134.	15.11.2003	10:44 पी.एम.	ए4	मृतक
135.	15.11.2003	10:49 पी.एम.	ए4	मृतक
136.	**15.11.2003**	**11:38 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**

तालिका - 3

16.11.2003-24.11.2003

क्रम संख्या	**तारीख**	**समय**	**के द्वारा**	**किसको**
1.	16.11.2003	12:03 पी.एम.	ए4	मृतक
2.	16.11.2003	03:40 पी.एम.	ए4	ए1
3.	16.11.2003	06:09:25 पी.एम.	ए4	ए1

4.	16.11.2003	06:18:06 पी.एम.	ए4	ए1
5.	16.11.2003	06:25:41 पी.एम.	ए4	ए1
6.	16.11.2003	07:26:23 पी.एम.	ए4	ए1
7.	16.11.2003	07:40 पी.एम.	ए4	मृतक
8.	16.11.2003	09:16 पी.एम.	ए4	मृतक
9.	16.11.2003	09:24 पी.एम.	ए4	मृतक
10.	16.11.2003	09:35 पी.एम.	ए4	मृतक
11.	16.11.2003	09:49 पी.एम.	ए4	मृतक
12.	**16.11.2003**	**10:08:41 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
13.	17.11.2003	09:53 ए.एम.	ए4	ए1
14.	17.11.2003	10:25 ए.एम.	ए4	ए1
15.	17.11.2003	03:34 पी.एम.	ए4	मृतक
16.	17.11.2003	03:38 पी.एम.	ए4	ए1
17.	17.11.2003	04:25 पी.एम.	ए1	ए4
18.	**17.11.2003**	**10:55:54 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
19.	**17.11.2003**	**10:55:56 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
20.	**17.11.2003**	**11:21 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
21.	**17.11.2003**	**11:39 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
22.	**17.11.2003**	**11:42 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
23.	18.11.2003	09:26 ए.एम.	ए4	ए1
24.	18.11.2003	09:46:39 ए.एम.	ए4	ए1
25.	18.11.2003	09:46:41 ए.एम.	ए4	ए1
26.	18.11.2003	10:34 ए.एम.	ए4	ए1

27.	18.11.2003	06:47:42 पी.एम.	ए4	ए1
28.	18.11.2003	06:47:45 पी.एम.	ए4	ए1
29.	18.11.2003	07:30 पी.एम.	ए4	मृतक
30.	18.11.2003	07:45 पी.एम.	ए4	मृतक
31.	19.11.2003	08:21:37 ए.एम.	ए4	ए1
32.	19.11.2003	08:21:39 ए.एम.	ए4	ए1
33.	19.11.2003	09:35 ए.एम.	ए4	ए1
34.	19.11.2003	09:40:00 ए.एम.	ए4	ए1
35.	19.11.2003	09:40:09 ए.एम.	ए4	ए1
36.	19.11.2003	09:40:13 ए.एम.	ए4	ए1
37.	19.11.2003	09:42:07 ए.एम.	ए4	ए1
38.	19.11.2003	09:42:20 ए.एम.	ए4	ए1
39.	19.11.2003	09:42:34 ए.एम.	ए4	ए1
40.	19.11.2003	11:06 ए.एम.	ए4	ए1
41.	19.11.2003	11:17:46 ए.एम.	ए4	ए1
42.	19.11.2003	11:17:49 ए.एम.	ए4	ए1
43.	19.11.2003	11:33 ए.एम.	ए4	ए1
44.	19.11.2003	02:23 पी.एम.	ए4	ए1
45.	19.11.2003	04:52 पी.एम.	ए4	ए1
46.	19.11.2003	09:37 पी.एम.	ए4	मृतक
47.	**19.11.2003**	**11:03:37 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
48.	**19.11.2003**	**11:03:40 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
49.	**19.11.2003**	**11:07 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**

50.	20.11.2003	10:24 ए.एम.	ए4	मृतक
51.	20.11.2003	10:37:13 ए.एम.	ए4	ए1
52.	20.11.2003	10:37:16 ए.एम.	ए4	ए1
53.	20.11.2003	12:32 पी.एम.	ए4	ए1
54.	20.11.2003	12:59 पी.एम.	ए4	ए1
55.	20.11.2003	01:14 पी.एम.	ए4	ए1
56.	20.11.2003	01:29 पी.एम.	ए4	ए1
57.	20.11.2003	01:46 पी.एम.	ए4	ए1
58.	20.11.2003	01:47 पी.एम.	ए4	ए1
59.	20.11.2003	03:51 पी.एम.	ए4	मृतक
60.	20.11.2003	03:56 पी.एम.	ए4	ए1
61.	20.11.2003	07:20 पी.एम.	ए4	मृतक
62.	**20.11.2003**	**11:48 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
63.	**20.11.2003**	**11:49 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
64.	21.11.2003	09:53 ए.एम.	ए4	ए1
65.	21.11.2003	04:18:54 पी.एम.	ए4	मृतक
66.	21.11.2003	04:18:56 पी.एम.	ए4	मृतक
67.	21.11.2003	07:58 पी.एम.	ए4	ए1
68.	21.11.2003	08:07 पी.एम.	ए4	ए1
69.	21.11.2003	08:38:18 पी.एम.	ए4	ए1
70.	21.11.2003	08:38:20 पी.एम.	ए4	ए1
71.	21.11.2003	08:43 पी.एम.	ए4	ए1
72.	21.11.2003	08:50 पी.एम.	ए4	ए1

73.	**21.11.2003**	**11:02:19 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
74.	**21.11.2003**	**11:02:22 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
75.	**21.11.2003**	**11:58 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
76.	22.11.2003	09:30:34 ए.एम.	ए4	ए1
77.	22.11.2003	09:30:36 ए.एम.	ए4	ए1
78.	22.11.2003	10:35 ए.एम.	ए4	ए1
79.	22.11.2003	10:46 ए.एम.	ए4	ए1
80.	22.11.2003	11:43 ए.एम.	ए4	ए1
81.	22.11.2003	03:16 पी.एम.	ए4	मृतक
82.	22.11.2003	04:00 पी.एम.	ए4	मृतक
83.	22.11.2003	07:41:08 पी.एम.	ए4	ए1
84.	22.11.2003	07:41:11 पी.एम.	ए4	ए1
85.	22.11.2003	09:57:50 पी.एम.	ए4	ए1
86.	22.11.2003	09:57:52 पी.एम.	ए4	ए1
87.	**22.11.2003**	**10:21 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
88.	**22.11.2003**	**11:35 पी.एम.**	**ए1**	**ए4**
89.	**22.11.2003**	**11:44:07 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
90.	**22.11.2003**	**11:44:09 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
91.	23.11.2003	12:43 पी.एम.	ए4	ए1
92.	23.11.2003	12:55 पी.एम.	ए4	ए1
93.	23.11.2003	02:07 पी.एम.	ए4	ए1
94.	23.11.2003	03:56 पी.एम.	ए4	ए1
95.	23.11.2003	04:36 पी.एम.	ए4	ए1

96.	23.11.2003	04:42 पी.एम.	ए4	ए1
97.	23.11.2003	08:17 पी.एम.	ए3	ए1
98.	23.11.2003	09:22:35 पी.एम.	ए4	ए1
99.	23.11.2003	09:22:38 पी.एम.	ए4	ए1
100.	23.11.2003	09:36 पी.एम.	ए4	मृतक
101.	23.11.2003	09:47 पी.एम.	ए4	मृतक
102.	23.11.2003	10:31 पी.एम.	ए3	ए1
103.	**23.11.2003**	**11:18 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**
104.	**24.11.2003**	**01:20 ए.एम.**	**ए4**	**ए1**
105.	**24.11.2003**	**01:23 ए.एम.**	**ए4**	**ए1**
106.	24.11.2003	01:35 पी.एम.	ए4	ए1
107.	24.11.2003	01:44 पी.एम.	ए4	मृतक
108.	24.11.2003	01:45 पी.एम.	ए4	ए1
109.	24.11.2003	01:48 पी.एम.	ए4	मृतक
110.	24.11.2003	03:12 पी.एम.	ए4	ए1
111.	24.11.2003	04:12 पी.एम.	ए3	ए1
112.	24.11.2003	05:45 पी.एम.	ए3	ए1
113.	24.11.2003	05:46 पी.एम.	ए3	ए1
114.	24.11.2003	06:55 पी.एम.	ए4	ए1
115.	24.11.2003	06:59 पी.एम.	ए4	मृतक
116.	24.11.2003	07:10 पी.एम.	ए4	ए1
117.	24.11.2003	07:17 पी.एम.	ए4	ए1
118.	24.11.2003	07:26 पी.एम.	ए4	ए1

119.	24.11.2003	07:34 पी.एम.	ए4	ए1
120.	24.11.2003	08:57 पी.एम.	ए4	ए1
121.	24.11.2003	09:08 पी.एम.	ए4	ए1
122.	24.11.2003	09:26 पी.एम.	ए4	ए1
123.	24.11.2003	09:55 पी.एम.	ए4	ए1
124.	**24.11.2003**	**10:09 पी.एम.**	**ए1**	**ए4**
125.	**24.11.2003**	**11:20 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**

तालिका - 4

25.11.2003

क्रम संख्या	**समय**	**के द्वारा**	**किसको**	**एसएमएस/वी**
1.	10:21 ए.एम.	ए3	ए1	वी
2.	11:01 ए.एम.	ए3	ए1	वी
3.	03:03 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
4.	04:24 पी.एम.	ए3	ए1	वी
5.	04:25 पी.एम.	ए3	ए1	वी
6.	06:18 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
7.	09:04 पी.एम.	ए3	ए4	वी
8.	09:16 पी.एम.	ए3	ए4	वी
9.	09:17 पी.एम.	ए3	ए4	वी
10.	09:19 पी.एम.	ए3	ए4	वी

11.	09:23 पी.एम.	ए3	ए4	वी
12.	09:26 पी.एम.	ए3	ए4	वी
13.	09:28 पी.एम.	ए3	ए4	वी
14.	09:29 पी.एम.	ए3	ए4	वी
15.	09:32 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
16.	09:40 पी.एम.	ए3	ए4	वी
17.	**11:20 पी.एम.**	**ए1**	**ए4**	**वी**

तालिका - 5

26.11.2003

क्रम संख्या	समय	के द्वारा	किसको	एसएमएस/वी
1.	09:06 ए.एम.	ए3	ए1	वी
2.	09:10 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
3.	09:26 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
4.	11:02 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
5.	11:07 ए.एम.	ए3	ए1	वी
6.	11:33 ए.एम.	ए3	ए1	वी
7.	12:13 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
8.	03:40 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
9.	03:52 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
10.	04:27 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस

11.	06:30 पी.एम.	ए3	ए1	वी
12.	09:13:29 पी.एम.	ए3	ए1	वी
13.	09:13:57 पी.एम.	ए4	ए1	वी
14.	09:38 पी.एम.	ए1	ए4	वी

<u>तालिका - 6</u>

<u>27.11.2003</u>

क्रम संख्या	**समय**	**के द्वारा**	**किसको**	**एसएमएस/वी**
1.	10:17 ए.एम.	ए3	ए1 निवास स्थान	वी
2.	03:23 पी.एम.	ए3	ए1	वी
3.	05:43 पी.एम.	ए3	ए4	वी
4.	06:04 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
5.	06:33 पी.एम.	ए3	ए4	वी
6.	06:52 पी.एम.	ए3	ए4	वी
7.	07:00 पी.एम.	ए3	ए4	वी
8.	07:06 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
9.	07:13 पी.एम.	ए3	ए4	वी
10.	07:17 पी.एम.	ए3	ए4	वी
11.	07:19 पी.एम.	ए3	ए4	वी
12.	07:49 पी.एम.	ए3	ए4	वी
13.	08:36 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
14.	08:42 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस

15.	09:22 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
16.	11:11 पी.एम.	ए3	ए1	वी

<u>तालिका - 7</u>

<u>28.11.2003</u>

क्रम संख्या	**समय**	**के द्वारा**	**किसको**	**एसएमएस/वी**
1.	**12:09 ए.एम.**	ए1	ए4	वी
2.	**12:12 ए.एम.**	ए4	ए1	वी
3.	09:09 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
4.	09:18 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
5.	09:31 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
6.	09:44 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
7.	10:05 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
8.	10:22 ए.एम.	ए3	ए1	वी
9.	12:44 पी.एम.	ए4	ए3	वी
10.	12:53 पी.एम.	ए4	ए3	वी
11.	01:40 पी.एम.	ए4	ए3	वी
12.	02:31 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
13.	02:56 पी.एम.	ए3	ए1	वी
14.	03:45 पी.एम.	ए3	ए1	वी
15.	04:00 पी.एम.	ए4	ए3	वी
16.	04:34 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी

17.	04:37:02 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
18.	04:37:29 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
19.	04:38 पी.एम.	ए1	ए3	वी
20.	05:08 पी.एम.	ए3	ए1	वी
21.	05:45 पी.एम.	ए1	ए3	वी
22.	06:06 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
23.	06:16 पी.एम.	ए1	ए3	वी
24.	06:22 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
25.	06:40 पी.एम.	ए1	ए3	वी
26.	07:03 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
27.	07:09 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
28.	07:17 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
29.	07:40 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
30.	07:44 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
31.	07:53 पी.एम.	ए1	ए3	वी
32.	08:24 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
33.	09:23 पी.एम.	ए4	ए3	एसएमएस
34.	09:35 पी.एम.	ए3	ए1	वी
35.	**11:41 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**
36.	**11:57 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**
37.	**11:57 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**
38.	**11:59 पी.एम.**	**ए1**	**ए4**	**वी**

तालिका - 8

29.11.2003

क्रम संख्या	समय	के द्वारा	किसको	एसएमएस/वी
1.	08:53 ए.एम.	ए3	ए4	वी
2.	09:05 ए.एम.	ए4	ए3	वी
3.	09:06 ए.एम.	ए3	ए1	वी
4.	09:12 ए.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
5.	01:16 पी.एम.	ए4	ए1	वी
6.	01:59 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
7.	02:02 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
8.	02:25 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
9.	03:00 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
10.	03:33 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
11.	06:53 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
12.	06:55 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
13.	06:58 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
14.	07:07 पी.एम.	ए1	ए3	एसएमएस
15.	07:15 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
16.	07:27 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
17.	08:07 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
18.	08:07 पी.एम.	ए3	ए4	वी

19.	08:30 पी.एम.	ए4	ए1	वी
20.	08:41 पी.एम.	ए4	ए1	वी
21.	08:45 पी.एम.	ए3	ए4	वी
22.	09:16 पी.एम.	ए3	ए1	वी
23.	09:17 पी.एम.	ए4	ए1	वी
24.	09:20 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
25.	09:51 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस

तालिका - 9

30.11.2003 (सगाई समारोह की तिथि)

क्रम संख्या	**समय**	**के द्वारा**	**किसको**	**एसएमएस/वी**
1.	08:51 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
2.	09:11 ए.एम.	ए4	ए1	वी
3.	10:22 ए.एम.	ए1	ए4	वी
4.	10:39 ए.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस/वी
5.	10:48 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
6.	12:49 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
7.	01:00 पी.एम.	ए3	ए1	वी
8.	02:38 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
9.	04:04 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
10.	07:42 पी.एम.	ए3	ए4	वी
11.	08:22 पी.एम.	ए3	ए2	वी

12.	08:29 पी.एम.	ए3	ए2	वी
13.	08:46 पी.एम.	ए3	ए4	वी
14.	08:49 पी.एम.	ए3	ए4	वी
15.	**10:53 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**

<u>तालिका - 10</u>

<u>01.12.2003</u>

क्रम संख्या	**समय**	**के द्वारा**	**किसको**	**एसएमएस/वी**
1.	12:11 पी.एम.	ए3	ए1	वी
2.	12:13 पी.एम.	ए3	ए2	वी
3.	01:40 पी.एम.	ए3	ए2	वी
4.	05:06:50 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस/वी
5.	07:45 पी.एम.	ए4	मृतक	वी
6.	08:39:53 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस/वी
7.	09:03 पी.एम.	ए3	ए1	वी
8.	10:47 पी.एम.	ए4	ए1	वी
9.	**10:53 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**
10.	**10:56 पी.एम.**	**ए1**	**ए4**	**एसएमएस**
11.	**11:51 पी.एम.**	**ए-4 निवास स्थान**	**ए1**	**वी**

<u>तालिका - 11</u>

<u>02.12.2003</u>

क्रम संख्या	समय	के द्‌वारा	किसको	एसएमएस/वी
1.	08:37 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
2.	10:18 ए.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
3.	10:35 ए.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
4.	10:39 ए.एम.	ए4	ए1	वी
5.	11:20 ए.एम.	ए3	ए2	वी
6.	11:21 ए.एम.	ए3	ए1	वी
7.	01:11 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
8.	01:12 पी.एम.	ए4	मृतक	वी
9.	01:22 पी.एम.	ए4	ए3	वी
10.	03:11 पी.एम.	ए1	ए3	वी
11.	03:41 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
12.	03:45 पी.एम.	ए3	ए2	वी
13.	03:49 पी.एम.	ए3	ए4	वी
14.	03:50 पी.एम.	ए3	ए4	वी
15.	03:54 पी.एम.	ए3	ए2	वी
16.	04:29 पी.एम.	ए3	ए2	वी
17.	04:53 पी.एम.	ए3	ए2	वी
18.	05:05 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
19.	05:12 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
20.	05:37 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
21.	05:44 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी

22.	06:32 पी.एम.	ए1	ए2	वी
23.	06:37 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
24.	06:37 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
25.	06:46 पी.एम.	ए1	ए4	वी
26.	06:49 पी.एम.	ए4	मृतक	एसएमएस
27.	06:50 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
28.	06:52 पी.एम.	ए1	ए2	वी
29.	06:59 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
30.	07:03 पी.एम.	ए1	ए2	वी
31.	07:42 पी.एम.	ए4	ए2	वी
32.	07:44 पी.एम.	ए1	ए4	वी
33.	07:44 पी.एम.	ए1	ए4	वी
34.	07:55 पी.एम.	ए4	ए2	एसएमएस
35.	07:58 पी.एम.	ए1	ए4	वी
36.	07:59 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
37.	08:06 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
38.	08:14 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
39.	08:15 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
40.	08:20 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
41.	08:28 पी.एम.	ए1	ए2	एसएमएस
42.	08:28 पी.एम.	ए1	ए2	एसएमएस
43.	08:29 पी.एम.	ए1	ए2	एसएमएस

44.	08:31 पी.एम.	ए1	ए2	एसएमएस
45.	08:40 पी.एम.	ए1	ए2	वी
46.	08:59 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
47.	09:05 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
48.	09:13 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
49.	09:23 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
50.	09:24 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
51.	09:52 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
52.	09:52 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
53.	10:08 पी.एम.	ए2 निवास स्थान	ए1	वी
54.	**10:42 पी.एम.**	**ए4 निवास स्थान**	**ए1**	**वी**
55.	**11:21 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**
56.	**11:21 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**
57.	**11:24 पी.एम.**	**ए1**	**ए4**	**एसएमएस**
58.	**11:30 पी.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**

<u>तालिका - 12</u>

<u>03.12.2003</u>

क्रम संख्या	**समय**	**के द्वारा**	**किसको**	**एसएमएस/वी**
1.	08:50 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
2.	10:33 ए.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी

3.	10:36 ए.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
4.	12:17 पी.एम.	ए4	ए1	वी
5.	12:22 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
6.	12:31 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
7.	01:06 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
8.	01:09 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
9.	01:11 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
10.	01:32 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
11.	01:38 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
12.	01:53 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
13.	02:10 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
14.	02:11 पी.एम.	ए4 निवास स्थान	ए1	वी
15.	03:07 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
16.	03:16 पी.एम.	ए1	ए4	वी
17.	03:23 पी.एम.	ए1	ए2	एसएमएस
18.	03:30 पी.एम.	ए1	ए2	वी
19.	03:39 पी.एम.	ए1	ए2	एसएमएस
20.	03:44 पी.एम.	ए3	ए2	वी
21.	04:52 पी.एम.	ए3	ए4	वी
22.	05:16 पी.एम.	ए3	ए1	वी
23.	05:22 पी.एम.	ए3	ए1	वी
24.	05:32 पी.एम.	ए4	मृतक	वी

25.	05:33 पी.एम.	ए4	मृतक	वी
26.	05:42 पी.एम.	ए1 निवास स्थान	ए2	वी
27.	05:46 पी.एम.	ए3	ए1	वी
28.	05:54 पी.एम.	ए3	ए2	वी
29.	06:01 पी.एम.	ए3	ए4	वी
30.	06:16 पी.एम.	ए4	मृतक	वी
31.	06:25 पी.एम.	ए4	मृतक	वी
32.	06:37 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
33.	06:41 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
34.	06:46 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
35.	06:51 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
36.	06:54 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
37.	06:56 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
38.	07:03 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
39.	07:05 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
40.	07:12 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
41.	07:21 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
42.	07:28 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
43.	07:37 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
44.	07:39 पी.एम.	ए3	ए2	वी
45.	07:39 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
46.	07:42 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस

47.	07:44 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
48.	07:45 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
49.	08:05 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
50.	08:12 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
51.	08:13 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
52.	08:16 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
53.	08:17 पी.एम.	ए4	पीडब्लू-10	वी
54.	08:20 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
55.	08:22 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
56.	08:23 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
57.	08:26 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
58.	08:32 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
59.	08:33 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
60.	08:38 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
61.	08:39 पी.एम.	ए3	ए2	वी
62.	08:40 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
63.	08:44 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
64.	08:47 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
65.	08:49 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
66.	08:55 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
67.	08:58 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
68.	09:07 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस

69.	09:08 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
70.	09:10 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
71.	09:14 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
72.	09:25 पी.एम.	ए3	ए2	वी
73.	09:39 पी.एम.	ए1	ए4	एसएमएस
74.	09:56 पी.एम.	पीडब्लू-10	ए4	वी

घटना की तारीख को संचारों की संख्या

आरोपी व्यक्ति	**एसएमएस की संख्या**	**कॉल्स की संख्या**	**कुल**
ए1 और ए4	45 एसएमएस	9 कॉल्स	54
ए1 और ए3	0	4 कॉल्स	4
ए1 और ए2	3 एसएमएस	1 कॉल	4
ए3 और ए2	0	5 कॉल्स	5
ए4 और ए3	0	1 कॉल	1
ए4 और ए2	0	0	0
ए4 और मृतक	0	4 कॉल्स	4

शाम 06:37 बजे से रात 09:39 बजे के बीच संचारों की संख्या

आरोपी व्यक्ति	**एसएमएस की संख्या**	**कॉल्स की संख्या**	**कुल**
ए1 और ए4	38 एसएमएस	0	38
ए1 और ए3	0	0	0
ए1 और ए2	0	0	0

ए3 और ए2	0	3 कॉल्स	3
ए4 और ए3	0	0	0
ए4 और ए2	0	0	0
ए4 और मृतक	0	0	0

तालिका - 13

04.12.2003

क्रम संख्या.	**समय**	**के द्वारा**	**किसको**	**एसएमएस/वी**
1.	**02:10 ए.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**
2.	**02:10 ए.एम.**	**ए4**	**ए1**	**एसएमएस**
3.	06:41 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
4.	06:51 ए.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
5.	08:36 ए.एम.	ए3	ए1	वी
6.	08:42 ए.एम.	ए3	ए1	वी
7.	09:14 ए.एम.	ए3	ए2	वी
8.	10:04 ए.एम.	ए3	ए2	वी
9.	10:12 ए.एम.	ए3	ए2	वी
10.	03:28 पी.एम.	ए1 निवास स्थान	ए2	वी
11.	04:18 पी.एम.	ए4	ए1	एसएमएस
12.	04:48 पी.एम.	ए1	ए3	वी

तालिका - 14

05.12.2003 और 06.12.2003

क्रम संख्या.	तारीख	समय	के द्वारा	किसको
1.	05.12.2003	10:05 ए.एम.	ए1	ए4
2.	05.12.2003	02:47 पी.एम.	ए1	ए2
3.	05.12.2003	02:48 पी.एम.	ए1	ए2
4.	05.12.2003	02:49 पी.एम.	ए1	ए2
5.	05.12.2003	04:36 पी.एम.	ए1	ए2
6.	05.12.2003	04:37 पी.एम.	ए1	ए2
7.	05.12.2003	04:38 पी.एम.	ए1	ए2
8.	05.12.2003	04:39 पी.एम.	ए1	ए2
9.	06.12.2003	08:15:32 पी.एम.	ए1	ए4

***

वाद का परिणाम: अपीलें निरस्त की गईं।

†*शीर्ष टिप्पणियाँ* दिव्या पांडेय *द्वारा तैयार की गईं।*

*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।